घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 311- रविवार 13- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

ब्रिक्स देशों ने साझा घोषणापत्र में सुरक्षा परिषद में भारत, ब्राजील की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन

ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणापत्र

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2026। भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शनिवार को 140 बिंदुओं वाला नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पुनर्गठन की मांग करते हुए वैश्विक संस्थाओं में सुधार,एकतरफा दंडात्मक व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त करने,अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में असमानता दूर करने और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर महिला एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की जरूरत पर जोर दिया गया। वीटो पावर वाले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत तथा ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ब्रिक्स देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस,सीमा पार आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन को जल्द अपनाने की भी अपील की गई। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता,क्षेत्रीय संघर्षों और ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र,अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक व्यापार व्यवस्था को मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की बात कही गई है। घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के आह्वान को दोहराते हुए अफ्रीका,एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत बताई गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चयन के संदर्भ में भी अधिक समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया। घोषणापत्र में कहा गया कि अब तक कोई महिला संयुक्त राष्ट्र महासचिव नहीं बनी है,जबकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र से केवल एक तथा अफ्रीका और एशिया से दो-दो नागरिक इस पद पर रह चुके हैं। ब्रिक्स देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत लगाए जाने वाले एकतरफा दंडात्मक उपायों और आर्थिक तथा द्वितीयक प्रतिबंधों की निंदा की। बयान में कहा गया कि इनका असर आम आबादी के मानवाधिकार,स्वास्थ्य,खाद्य सुरक्षा और विकास के अधिकार पर पड़ता है तथा गरीब और कमजोर वर्ग अधिक प्रभावित होते हैं। ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत सभी एकतरफा दंडात्मक उपायों को समाप्त करने की मांग की। व्यापार के मोर्चे पर नेताओं ने गैर-टैरिफ बाधाओं और भेदभावपूर्ण कार्बन शुल्कों पर चिंता जताई तथा वैश्विक व्यापार व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। सीमा पार भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और ब्रिक्स भुगतान कार्यबल की प्रगति का स्वागत किया गया।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति की भी जानकारी दी गई। नए विकास बैंक के काम की सराहना करते हुए बुनियादी ढांचे और सतत विकास के वित्तपोषण को बढ़ाने पर जोर दिया गया। अंतर राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए ब्रिक्स ने संवाद, निवारक कूटनीति और मध्यस्थता को महत्वपूर्ण साधन बताया। संबंधित पक्षों की सहमति के आधार पर संघर्षों की रोकथाम और शांति प्रक्रियाओं में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। महिलाओं की शांति और सुरक्षा में भागीदारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 और उसके बाद के प्रस्तावों को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। शांति और सुरक्षा से जुड़ी निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की। नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा तथा देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता दोहराई गई।

ग्लोबल साउथ सिर्फ नियम माने नहीं,नियम बनाए : मोदी

मोदी ने कहा... कि दुनिया के भविष्य के नियम तय करने में हर देश की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को सिर्फ दूसरे देशों के बनाए नियम मानने वाला नहीं,बल्कि नियम बनाने वाला बनना होगा। पीएम ने कहा कि नई तकनीकें आने वाले समय को बदल रही हैं। इन क्षेत्रों में कौन से नियम होंगे,यह भी आने वाले समय में तय होगा। इसलिए ग्लोबल साउथ की इन चर्चाओं में बराबर की भागीदारी जरूरी है।

ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा-पत्र

ब्रिक्स देशों ने 2026 की नई दिल्ली घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाया। घोषणापत्र में पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया गया,जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। घोषणा-पत्र में कहा गया,'हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। इसमें राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी शामिल है।' ब्रिक्स ने क्षेत्र में स्थायी शांति,सुरक्षा और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समझ विकसित करने की दिशा में संवाद और कूटनीति के जरिए प्रयास बढ़ाने की अपील की। समूह ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा की सुचारू आवाजाही बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया।

शी जिनपिंग बोले...पश्चिम एशिया में शांति कायम करने में चीन उचित भूमिका निभाने को तैयार

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार,शी ने कहा कि युद्ध के कारण पूरे क्षेत्र के लोगों को गंभीर नुकसान हुआ है और यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के साथ सहयोग करने को तैयार है।

भारत-चीन वार्ता : पीएम मोदी की जिनपिंग को दो टूक

सीमा पर शांति जरूरी,मतभेद विवाद में न बदले,इस पर दोनों सहमत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शनिवार को द्विपक्षीय बैठक हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मलेन से इतर हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता के दौरान समर्थन और सहयोग के लिए चीन का आभार जताया। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग का स्वागत करते हुए कहा,आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपकी सकारात्मक बातों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर है।' वहीं,इस बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत एक-दूसरे की ताकत से सीख सकते हैं और साझा विकास हासिल कर सकते हैं। उन्होंने दोनों देशों से व्यापक ब्रिक्स सहयोग के उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए मिलकर काम करने का भी आग्रह किया। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीएम मोदी से कहा कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को 'रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण' से देखता है। दोनों नेताओं ने भारत-चीन संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई पिछली बैठक के बाद भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में हुई निरंतर प्रगति का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को तीन 'परस्पर' सिद्धांतों-आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित से निर्देशित होना चाहिए।

सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति पर पीएम मोदी की दो टूक

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के लगातार विकास का एक आवश्यक आधार है। उन्होंने सीमा से जुड़े मुद्दों पर मौजूदा समझौतों और सहमतियों का दोनों पक्षों द्वारा पालन करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने राजनीतिक दृष्टिकोण और दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों तथा दोनों देशों की जनता के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा विवाद के निष्पक्ष,उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जताई।

प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से की द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत और अबू धाबी के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार,प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी देश के रूप में अबू धाबी की भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने इस वर्ष जनवरी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान की भारत यात्रा और मई में प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा के दौरान हुई महत्वपूर्ण प्रगति को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स में यूएई की सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी की सराहना की। दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन में सामने आए सकारात्मक परिणामों का स्वागत करते हुए साझा हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा ब्रिक्स सहयोग को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर सहमति जताई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा ओडिशा में 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर के इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड एल्युमीनियम प्रोजेक्ट में निवेश की घोषणा का स्वागत किया।

बंगाल उपचुनाव में लेफ्ट के उम्मीदारों का ऐलान

बीजेपी-टीएमसी का घोषित करना बाकी,ममता के लड़ने पर सस्पेंस,6 अक्टूबर को मतदान

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2026। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। CPI(M) के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने शनिवार को अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। CPI ने नंदीग्राम से शांतिगोपाल गिरि और CPI(M) ने रेजीनगर से सईद असद अली को टिकट दिया है। इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। सत्ताधारी BJP और विपक्षी TMC ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के खाली करने से हुई है। रेजीनगर सीट आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई। कांग्रेस ने शुक्रवार को रेजीनगर से मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफ और नंदीग्राम से मिलन प्रधान को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी के बयान के मुताबिक, इन नामों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट बोला...शराबबंदी करने का फैसला एकतरफा : इसके आदी बीमार होकर अस्पताल में भीड़ लगा देंगे,सिर्फ पुणे में रोक शहरवासियों के लिए कलंक

नई दिल्ली,12 सितम्बर 2026। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुणे प्रशासन को गणेश उत्सव के दौरान 10 दिन तक शराब पर रोक लगाने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा जो व्यक्ति शराब का आदी है उसे 10 दिनों तक शराब पीने को नहीं मिली,तो वे अस्पतालों में भीड़ लगा देंगे। चीफ जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि सिर्फ पुणे को चुनने के पीछे क्या तर्क है? हम ऐसी प्रथा की निंदा करते हैं। यह पुणे के निवासियों के लिए एक कलंक है। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुणे प्रशासन ने गणेशोत्सव के दौरान 10 दिन की शराबबंदी घटाकर 2 दिन कर दी है। अब 14 सितंबर को शाम 4 बजे तक और 25 सितंबर को पूरे दिन शराब

की बिक्री व सेवन पर रोक रहेगी। बिना किसी तर्कसंगत आधार के व्यापक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। त्योहार के दौरान कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर उत्साह में सड़कों पर निकलता है, तो सिर्फ इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वह कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करेगा। हालांकि,अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि शराब पी हो या नहीं,यदि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली स्थिति पैदा करता है तो उसे कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना ही होगा।

संपादकीय

चिंतित करने वाला फैसला

नोएडा हिंसा मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कार्यकर्ता आकृति चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई गिरफ्तारी निरस्त करने का हालिया निर्णय कानून-व्यवस्था, प्रशासन की जिम्मेदारी और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कुछ गंभीर प्रश्न भी खड़े करता है और शायद इसीलिए सरकार ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने राज्य की ओर से प्रस्तुत कहानी को गढ़ी हुई कहानी बताया,प्रशासन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर सवाल उठाए और याचिकाकर्ता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया और वह भी नोएडा के अधिकारियों और विशेष रूप से जिलाधिकारी से।

इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। लोकतंत्र में लोग प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी शिकायतें सरकार तथा प्रशासन के सामने रख सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक जमावड़े में अंतर है। जब कोई प्रदर्शन पत्थरबाजी, आगजनी,तोड़फोड़,सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने,पुलिस पर हमला करने या आम नागरिकों में भय पैदा करने में बदल जाता है,तब वह केवल विरोध का माध्यम नहीं रह जाता। वह गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या बन जाता है,जिसे नियंत्रित करना राज्य का दायित्व है।

नोएडा की घटना को केवल एक सामान्य श्रमिक आंदोलन के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस हिंसा में 100 से अधिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया,50 से अधिक फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई और पुलिस वाहनों सहित कई वाहनों को आग के हवाले किया गया। जब कोई बड़ा समूह हिंसक हो जाता है,तब पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी नहीं रह सकती। पुलिस का पहला दायित्व मानव जीवन,सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा को और फैलने से रोकना है।

किसी वैध मांग के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शन को इस आधार पर हिंसक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसकी शुरुआत एक जायज मांग से हुई थी। बड़े स्तर पर होने वाली पत्थरबाजी,पुलिस वाहनों पर हमले, आगजनी और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाली घटनाएं सामान्यतःअचानक नहीं होतीं। इसके पीछे पहले से तैयारी,लोगों को संगठित करना और सुनियोजित रणनीति भी हो सकती है। जो लोग ऐसी हिंसा की योजना बनाते हैं,उसे उकसाते हैं या उसके लिए वैचारिक समर्थन तैयार करते हैं,उनकी भूमिका भी उतनी ही गंभीरता से जांची जानी चाहिए,जितनी उन लोगों की,जो जमीन पर जाकर हिंसा करते हैं। अपराध की योजना बनाने और अंजाम देने में सहयोग करने वालों की भूमिका भी कानून की नजर में महत्वपूर्ण होती है।

यदि किसी व्यक्ति पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जाता है तो राज्य को उस व्यक्ति और हिंसा के बीच संबंध स्थापित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। रासुका जैसी निरोधात्मक गिरफ्तारी एक असाधारण शक्ति है और इसे सामान्य आपराधिक जांच या अभियोजन का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। यदि आकृति चौधरी के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं थे तो न्यायिक हस्तक्षेप स्वाभाविक था, पर यह मानना कठिन है कि प्रशासन का कोई व्यक्तिगत हित किसी कार्यकर्ता पर रासुका लगाने या उसे जेल भेजने में हो सकता है। साक्ष्य या प्रक्रिया में कमी हो सकती है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चिंता पूरी तरह निराधार बता दी जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते समय एक पक्ष पर अधिक ध्यान गया,जबकि दूसरे पक्ष यानी नागरिकों के जीवन,संपत्ति और सुरक्षा की राज्य की जिम्मेदारी को माननीय न्यायालय द्वारा उतनी गंभीरता से नहीं देखा गया। हमें उन परिस्थितियों को सामान्य नहीं बनने देना चाहिए,जिनमें सड़कें,औद्योगिक क्षेत्र,सरकारी संस्थान या पुलिस प्रतिष्ठान भीड़ की हिंसा के केंद्र बन जाएं। भारत जैसी बड़ी और विविध लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के हाथों को कमजोर करने की कोई भी प्रवृत्ति गंभीर परिणाम ला सकती है। सरकार के फैसलों को लेकर विरोध हो सकता है, लेकिन किसी विचारधारा के नाम पर वाहन जलाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पुलिसकर्मियों पर हमला किसी राजनीतिक मत का हिस्सा नहीं हो सकता। फैक्ट्रियों और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। हिंसक भीड़ के सामने खड़े पुलिस अधिकारी को यह तय करना होता है कि सामने मौजूद स्थिति से लोगों की जान और संपत्ति को कितना खतरा है और उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यदि भीड़ पत्थर बरसा रही है, वाहनों में आग लगा रही है या पुलिस पर हमला कर रही है तो कानून-व्यवस्था बहाल करना उसका दायित्व है। यदि किसी अधिकारी ने शक्ति का दुरुपयोग किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। यदि साक्ष्य गढ़े गए हैं तो इसकी निंदा होनी चाहिए। यदि किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र की ताकत है,लेकिन बड़ी संख्या में हुई हिंसा को बाद में लोकतांत्रिक विरोध का वैध रूप भी नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के चलते यदि पुलिस प्रशासन को यह महसूस होने लगे कि हिंसा के खिलाफ दृढ़ कार्रवाई करना उस पर भारी पड़ सकता है तो इससे सड़क पर कानून तोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है,अधिकारी निर्णय से डरेंगे और अंततः राज्य की वैधानिक प्रभावशीलता ही कमजोर होगी। लोकतांत्रिक राज्य को असहमति सहनी चाहिए,लेकिन अराजकता के सामने आत्मसमर्पण नहीं। पुलिस संयमित हो,लेकिन पंगु नहीं,प्रशासन जवाबदेह हो, लेकिन असहाय नहीं और न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था की उस बुनियाद को कमजोर किए बिना, जिस पर लोकतंत्र स्वयं खड़ा है। जिस दिन लोकतांत्रिक विरोध और अराजकता के बीच की रेखा मिट जाएगी,नुकसान केवल पुलिस,प्रशासन या न्यायपालिका का नहीं होगा। पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

ब्रिक्स : भारत की नई हुंकार,भारत के लिए अवसर और चुनौतियों का नया मंच

सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

वैश्विक दक्षिण की आावाज, रणनीतिक स्वायत्तता और बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका ब्रिक्स आज केवल उभरती अर्थ व्यवस्थाओं का आर्थिक समूह नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रभावी बनाने वाला महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। मूल रूप से ब्राजील,रूस, भारत और चीन से बने 'ब्रिक' में 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हुआ। 2024 में मिस्र, इथियोपिया,ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसके पूर्ण सदस्य बने तथा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस विस्तार के साथ ब्रिक्स अब 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।

भारत के लिए वर्ष 2026 विशेष महत्व रखता है,क्योंकि भारत ने 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी प्रस्तावित है। भारत की अध्यक्षता का केंद्रीय दृष्टिकोण लचीलापन,नवाचार,सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। यह अध्यक्षता भारत को केवल आयोजक की भूमिका नहीं देती,बल्कि समूह की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा को प्रभावित करने का अवसर भी प्रदान करती है।

ब्रिक्स का सबसे बड़ा महत्व भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में है। भारत लंबे समय से ऐसी विदेश नीति का समर्थन करता रहा है जिसमें किसी एक शक्ति-गुट पर निर्भरता के बजाय विभिन्न देशों और मंचों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संबंध बनाए जाएँ। ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे देशों के साथ भारत की भागीदारी है, वहीं भारत अमेरिका,यूरोप,जापान और अन्य शक्तियों के साथ भी समानांतर रूप से सहयोग करता है। इस प्रकार ब्रिक्स भारत की बहु-सरेखीय विदेश नीति को व्यावहारिक आधार प्रदान करता है।

ब्रिक्स का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देना है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आज भी अनेक निर्णय ऐसी संरचनाओं के भीतर लिए जाते हैं,जिनमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व उनकी आर्थिक और जनसंख्या संबंधी भूमिका के अनुरूप नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता लगातार उठाता रहा है। ब्रिक्स के माध्यम से विकासशील देश सामूहिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और न्यायसंगत वैश्विक शासन व्यवस्था की मांग को मजबूत कर सकते हैं।

आर्थिक दृष्टि से भी ब्रिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है। विस्तृत सदस्यता का अर्थ है बड़े बाजारों,निवेश, ऊर्जा,व्यापार,प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग की नई संभावनाएँ। भारत के लिए यह अवसर विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद, व्यापारिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ब्रिक्स के भीतर व्यापारिक बाधाओं को कम करने और भुगतान प्रणालियों को अधिक सुविधाजनक बनाने पर सहयोग भारत के आर्थिक हितों को लाभ पहुँचा सकता है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान प्रणालियों पर सहयोग की संभावनाएँ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। विकास वित्त के क्षेत्र में न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। विकासशील देशों के लिए ऐसी संस्थाएँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पारंपरिक वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के विकल्प और पूरक दोनों के रूप में काम कर सकती हैं। भारत के लिए इसमें परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास,जलवायु और हरित बुनियादी ढाँचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहयोग की व्यापक संभावनाएँ हैं।

लेकिन ब्रिक्स के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती इसके सदस्य देशों के विविध और कई बार परस्पर विरोधी रणनीतिक हित हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तथा व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा किसी भी गहरे राजनीतिक या सुरक्षा सहयोग को प्रभावित कर सकती है। रूस-पश्चिम संघर्ष,पश्चिम एशिया की परिस्थितियाँ और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता जैसे वैश्विक घटनाक्रम भी ब्रिक्स के भीतर मतभेद पैदा कर सकते हैं।

दूसरी चुनौती है विस्तार के बाद समन्वय की जटिलता। जब समूह छोटा था,तब साझा दृष्टिकोण बनाना अपेक्षाकृत आसान था। अब 11 पूर्ण सदस्यों और अलग-अलग स्तर के साझेदार देशों के साथ निर्णय-निर्माण अधिक जटिल हो गया है। प्रत्येक देश की आर्थिक संरचना,राजनीतिक प्राथमिकताएँ और विदेश नीति अलग हैं। इसलिए केवल संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं;साझा एजेंडा और प्रभावी संस्थागत तंत्र भी आवश्यक है।

एक और गंभीर चुनौती यह है कि ब्रिक्स को कहीं पश्चिम-विरोधी गठबंधन के रूप में देखने की प्रवृत्ति न बढ़ जाए। यदि समूह को केवल अमेरिका और पश्चिमी देशों के विकल्प या प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रस्तुत किया गया,तो उसके विकासात्मक और आर्थिक उद्देश्यों को नुकसान पहुँच सकता है। भारत के हित में यही होगा कि ब्रिक्स को किसी के विरुद्ध खड़े गुट के बजाय बहुध्रुवीय और समावेशी सहयोग मंच के रूप में विकसित किया जाए।

भारत की 2026 की अध्यक्षता इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत को घोषणाओं से आगे बढ़कर व्यावहारिक परिणामों पर जोर देना चाहिए। व्यापार और निवेश, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना,कृत्रिम बुद्धिमत्ता,स्वास्थ्य,कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन,आपदा प्रबंधन और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाएँ शुरू की जा सकती हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की कार्यक्षमता और परियोजना-वित्त क्षमता को मजबूत करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए।

अंततः ब्रिक्स की सफलता इस बात से तय होगी कि वह वैश्विक राजनीति में कितने प्रभावशाली बयान जारी करता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह कितना व्यावहारिक सहयोग पैदा करता है। भारत के लिए ब्रिक्स रणनीतिक स्वायत्तता,आर्थिक अवसर,वैश्विक दक्षिण की सामूहिक शक्ति और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण विश्व व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण मंच है। इसकी विविधता चुनौती अवश्य है,लेकिन वही इसकी शक्ति भी बन सकती है। भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान सहमति,संवाद और विकास को केंद्र में रखकर ब्रिक्स को ऐसा मंच बनाना चाहिए,जो किसी शक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समानता, सहयोग और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में खड़ा हो।

ब्रिक्स भारत के लिए केवल कूटनीतिक मंच नहीं,बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में अपनी स्वतंत्र और प्रभावशाली भूमिका को आकार देने का अवसर है। यदि भारत अपनी अध्यक्षता को व्यावहारिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की एकजुटता और संतुलित कूटनीति से जोड़ने में सफल होता है, तो ब्रिक्स की नई दिशा में उसकी भूमिका निर्णायक हो सकती है।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

3 करोड़ लोगों को सुलभ नहीं है न्याय?

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 37 साल पहले वर्ष 1987 में भोपाल ओर नर्मदापुरम संभाग के जिले के लोगों को समय पर सस्ता ओर सुलभ न्याय उपलब्ध कराये जाने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ लाने के लिए 4 महीने भोपाल न्यायालय में कलमबंद हड़ताल की गई थी जिसके समर्थन में इन दोनों संभाग के सभी जिलो की बारकौंसिल द्वारा समर्थन दिया जाकर शामिल हुए थे। भोपाल संभाग के हर जिले,तहसील में यह हड़ताल का ज़ोर था ओर सारे न्यायालयीन मामले कोर्टो कि तलबंदी के कारण थम से गए थे। तब से आज तक भोपाल संभाग सहित नर्मदापुरम संभाग के 8 जिलों का नेतृत्व करने वाले 36 विधायकों ओर 4 सांसद हो गए जिनके क्षेत्र के पोने दो करोड़ नागरिकों को स्थान की दूरी के कारण समय ओर पैसे की बर्बादी का दंश झेलना पड़ रहा है जबकि केंद्र ओर राज्य सरकार इन संभागों सहित मध्यप्रदेश में अनेक तहसीलों को जिले का दर्जा देकर वहाँ जिला सत्र न्यायालय व कई तहसीलों में अतिरिक्त जिला न्यायालय की सुविधा देकर उन्हे सुविधाओं से नबज़ 10 संभाग ओर 55 जिले का विस्तार कर सुविधाये देने का दावा कर अपनी प्रशंसा कराये किन्तु भोपाल नर्मदापुरम संभाग मुख्यालय पर खंडपीठ की स्थापना न कर इनके साथ अन्याय करने में स्पीड ब्रेकर बनी है। परिणाम स्वरूप यहाँ के पौने दो करोड़ नागरिक सरकारी तंत्र के कुंभकरणी नींद सोने ओर राजनीति के पदों पर आसीन रहने वाले वकीलों सहित इस संभाग की सभी जिलों की बार कौंसिल ओर वकीलों के प्रयास न करने का खामियाजा भुगत रहे है।

नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम,हरदा ओर बेतुल जिले के 52 लाख नागरिकों सहित प्रदेश की राजधानी भोपाल संभाग के जिले विदिशा, रायसेन, भोपाल,सीहोर एवं राजगढ़ के 1 करोड़ 18 लाख नागरिकों का विधानसभा मे प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 129 से लगायत 164 में कुल 36 विधानसभा क्षेत्र है जिसमे 32 विधायक ओर 4 सांसद सत्तारूढ़ भाजपा के है जो अपनी सरकार से अपने क्षेत्र के नर्मदापुरम संभाग ओर प्रदेश की राजधानी भोपाल संभाग में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कराने में सक्षम है। इन दोनों संभागों के जिलों में जिला सत्र न्यायालय के समक्ष सिविल,आपराधिक व राजस्व मामलों के प्रकरणों में पारित निर्णयों सहित कतिपय मामलों में अपील,रिट याचिका,जनहित याचिका आदि प्रस्तुत करने के लिये क्षेत्राधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण लेनी होती है,जो नर्मदापुरम ओर भोपाल संभाग मे खंडपीठ आने से लोगों को राहत मिल सकेगी, इस गंभीरता को नागरिक अधिकार जनसमस्या निराकरन समिति भोपाल के द्वारा समझते हुये प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव से 15 दिसंबर 2014 को राजभवन में एक ज्ञापन सौपा गया था वही हरदा जिले के अधिवक्ता प्रकाश टांक वर्ष 2019 से उनके करीबी इन्दौर उच्च न्यायालय से जोड़े जाने की हिम छेड़े हुये है। 3 जिलें जिसमें हरदा,खंडवा एवं बुरहानपुर है का उच्च न्यायालय जबलपुर में है जबकि देखा जाए तो हरदा से जबलपुर करीब 400 किलोमीटर, हरसूद खंडवा से करीब 550 किलोमीटर एवं बुरहानपुर से 650 किलोमीटर की दूरी जबलपुर हाईकोर्ट की है जबकि इंदौर उच्च न्यायालय इन तीनों जिलों 150 किलोमीटर दूर होने से नजदीक है जिसमें इन जिलों के निवासियों व्यापारियों, वकीलों,पक्षकारों को न्याय हेतु अनावश्यक अधिक दूरी तय कर न्याय हेतु भटकना नहीं पड़ेगा ओर साथ ही धन,ईंधन,समय आदि के अपव्यय से बच सकेंगे तथा संविधान की मूल भावना के अनुरूप शीघ्र/सस्ता/सुलभ न्याय मिल सकेगा।

जो महंगा ओर समय की कछुआ चाल की लंबे समय की दूरी तय करते है उनका भी बुरा हाल है,नर्मदापुरम में वे अपवाद ही कहे जा सकते है जिन्हे उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने के बाद भी जीते जी न्याय नहीं मिल सका और वे आदेश की पालना का आज भी इंतजार कर रहे है ओर सरकार उनके आदेश पालन कराने में बौनी साबित हो रही है। उच्च न्यायालय में वर्षों से अनेक जमीन जायदाद के मामले लंबित है जिसमें सालों में तारीख लगी है किन्तु सुनवाई ओर निर्णय का अभाव में लोग अपनी भूमि गंवा बैठे है जिसका एक उदाहरण नर्मदापुरम जिले के ग्राम कुलामडी का ही ले लीजिये जिसमें वहाँ का निवासी लक्ष्मीनारायण कटारे है जिनकी भूमि पर पिछले 20 सालों से एक व्यक्ति काबिज वह 15 सालों तक उच्च न्यायालय में घूमता रहा ओर वकील चक्कर लगवाते रहे जब उसका बेटा खुद वकालत कर कोर्ट पहुंचा तब उच्च न्यायालय का फैसला उसके पक्ष में आया तव विरोधी सुप्रीम कौर्ट गया जहा से भी उसके पक्ष में निर्णय आया ओर जिसका पालन कराने जिला न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के अथवा आपराधिक मामलों की सुनवाई की जो प्रक्रिया है और उसमें जिस तरह की देर लगती है,उसे अपराध करने वालों ने अपने उच्च न्यायालय को ढाल बना रखा है ओर यही कारण है कि बरसों तक धीमी गति से चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया का लाभ लेने हेतु ताकतवर लोग अपराध करने के बावजूद प्रक्रिया की घुमावदार गलियों में न्यायिक फैसले को टालते रहे है। टालने कि इस प्रक्रिया में न्याय पाने में जो देरी और विलंब होता है वह इतना लंबा ओर कष्टदायक हो जाता है जिससे न्याय मिलना एक तरह से अन्यायपूर्ण ही हो जाता है। कहावत है देर है अंधेर नहीं कि सोच भी धीमी न्यायिक प्रक्रिया के सामने धुंधली होकर समाप्त हो जाती है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी जिला प्रशासन पालन न करा सके वहाँ न्याय होकर भी अन्याय का होना है जिसका जीता जागता प्रमाण नर्मदापुरम में गुरु झुन्नू सेठ की बेरवन वाली भूमि जो एसएनजी स्कूल ओर कन्या शाला के सामने है पर से अतिक्रमण का न हट पाना है।

गणेश चतुर्थी : आस्था,विवेक और समरसता का संकल्प

हेमेन्द्र क्षीरसागर
बालाघाट,मध्यप्रदेश

गणेश चतुर्थी केवल भगवान गणेश की पूजा-अर्चना का पर्व नहीं,बल्कि भारतीय संस्कृति में ज्ञान,विवेक,शुभारंभ और सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण उत्सव है। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि-विवेक के देवता भगवान गणेश की आराधना के साथ यह पर्व हमें जीवन में सकारात्मकता, अनुशासन और सद्बुद्धि अपनाने की प्रेरणा देता है।

भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेशजी का स्मरण किया जाता है। इसके पीछे गहरा जीवन-दर्शन छिपा है। गणेशजी का विशाल मस्तक अधिक सोचने,बड़े कान ध्यानपूर्वक सुनने, छोटी आंखें एकाग्रता रखने और उनका वाहन मूषक सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय पर ध्यान देने का संदेश देता है। अर्थात गणेश आराधना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं,बल्कि बेहतर जीवन जीने की कला भी है।

गणेशोत्सव का सामाजिक पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक गणेशोत्सव लोगों को एक स्थान पर एकत्र करता है और समाज में सहयोग,

सहभागिता तथा भाईचारे की भावना मजबूत करता है। मोहल्लों, गांवों और नगरों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बनते हैं। यही कारण है कि गणेशोत्सव धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक चेतना का भी पर्व बन गया है। इतिहास की दृष्टि से सार्वजनिक गणेशोत्सव को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने गणेशोत्सव को सामाजिक एकजुटता और राष्ट्रीय चेतना के मंच के रूप में विकसित किया। इस परंपरा ने आगे चलकर समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आज जब पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की आवश्यकता बन चुका है, तब गणेशोत्सव मनाने के तरीके पर भी विचार करना जरूरी है। हमारी आस्था प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़े, यही भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। इसलिए मिट्टी से बनी पर्यावरण-अनुकूल प्रतिमाओं को प्राथमिकता देना, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना,अनावश्यक प्लास्टिक से बचना और विसर्जन के लिए निर्धारित कृत्रिम कुंडों का उपयोग करना समय की आवश्यकता है।

उत्सव की भव्यता केवल बड़े पंडाल,तेज ध्वनि और महंगे आयोजनों से तय नहीं होनी चाहिए। वास्तविक भव्यता तब होगी, जब गणेशोत्सव किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाए,बच्चों को शिक्षा की प्रेरणा दे,स्वच्छता का संदेश फैलाए और समाज में सेवा एवं सद्भाव की भावना मजबूत करे।

गणेशजी को प्रथम पूज्य कहा जाता है। शायद इसलिए कि किसी भी शुभ शुरुआत से पहले हमें विवेक,संयम और सकारात्मक सोच को स्थान देना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम गणेशोत्सव को केवल उत्सव न मानकर स्वच्छता, पर्यावरण, सेवा और सामाजिक समरसता का संकल्प पर्व बनाएं।

आइए, इस गणेश चतुर्थी भगवान गणेश से केवल अपने व्यक्तिगत सुख-समृद्धि की प्रार्थना न करें,बल्कि ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जिसमें ज्ञान हो, विवेक हो, प्रकृति के प्रति सम्मान हो और हर व्यक्ति के जीवन में मंगल का प्रकाश हो। गणपति बप्पा मोरया! मंगलमूर्ति मोरया!

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

शब्दों पर पहरा नहीं,फिर भी आवाज़ें कम क्यों होती जा रही हैं?

सवाल वही है...आवाज़ किसकी और फैसला किसका?

सेंसरशिप का नया शिष्टाचार : रोकिए मत,बस दिखाई मत दीजिए

प्रोआरके जैन,
अरिजीत,बड़वानी,मध्यप्रदेश

आपने सच लिखा,किसी ने झूठ नहीं कहा–बस आपकी आवाज को रास्ते से हटा दिया। यही डिजिटल दौर की नई विडंबना है। मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभिव्यक्ति का मंच खुला है,लेकिन आपकी बात कितनी दूर जाएगी,यह 'कम्युनिटी स्टैंडर्ड' तय कर सकता है। सरकार की नीति पर सवाल, किसी फैसले की आलोचना या व्यवस्था की कमी सामने रखते ही पोस्ट हट सकती है,पहुंच घट सकती है और अकाउंट प्रतिबंधित हो सकता है। फिर एक संदेश आता है...'आपकी सामग्री हमारे नियमों के विरुद्ध है।' मगर नियम किसने बनाए, किस आधार पर लागू हुए और फैसला किसने सुनाया–इसका जवाब देने वाला कोई दिखाई नहीं देता।

डिजिटल दरबार में अभिव्यक्ति की आज़ादी का फैसला किसके हाथ में है? अगस्त 2026 में पत्रकारों, राजनेताओं,स्वतंत्र टिप्पणीकारों और कुछ राजनीतिक संगठनों के पोस्ट व अकाउंट्स पर कार्रवाई ने गंभीर सवाल खड़े किए। मुद्दा पोस्ट हटने का नहीं, पारदर्शिता का है। नागरिक को पता होना चाहिए कि उसकी अभिव्यक्ति किस नियम की किस धारा से टकराई। मगर यहाँ फैसला पहले आता है, कारण बाद में भी आए तो कृपा समझिए। निर्णय स्वचालित प्रणाली,स्थानीय टीम या कानूनी अनुरोधों के दबाव में हुआ–स्पष्ट नहीं। आईटी नियमों और सरकारी अनुरोधों का जिक्र है,फिर भी पारदर्शिता कम है। मेटा के डेटा के अनुसार भारत में नफरत वाली सामग्री पर प्रोएक्टिव कार्रवाई वैश्विक औसत से कम रही है। सवाल है–एल्गोरिदम अंधा है या उसकी आँखों पर सुविधा का चश्मा है?

पहले सेंसरशिप सामने थी,अब स्क्रीन के पीछे है। किताब जब्त होती थी,अखबार रोका जाता था,छपाई पर पहरा होता था। विरोध करने वाला जानता था कि सामने कौन है। डिजिटल युग में सेंसरशिप अभिवादन करके आती है। पोस्ट रहती है,पर पहुँच गायब हो जाती है। अकाउंट चलता है, पर लोग देख नहीं पाते। लेखक लिखता रहता है और इंटरनेट को व्यस्त समझता है। इसे 'शैडोबैन', 'रिस्ट्रिक्शन' या तकनीकी नाम दें; नतीजा एक है–आवाज मौजूद होकर भी सार्वजनिक नहीं रहती। यह उस लेखक जैसा है जिसकी किताब छपे, पर सारी प्रतियाँ गोदाम में बंद रहें। आपको बोलने दिया जाता है, बस आपकी बात सुनाई नहीं देती।

वैश्विक नियमों की असली परीक्षा अलग-अलग देशों में होती है। मेटा की नीतियां वैश्विक हैं,पर 'समान न्याय' का सवाल बना रहता है। अलग राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों में इनका लागू होना एक जैसा नहीं। अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत में सरकार,समाज व कानून के दबाव की वास्तविकता अलग है। भारत के आईटी नियम प्लेटफॉर्म पर दबाव डाल सकते हैं,सरकार वैधानिक शक्ति इस्तेमाल कर सकती है और प्लेटफॉर्म कारोबारी हित व नियामकीय जोखिम देखता है। सबसे कमजोर नागरिक है–न मंत्रालय, न अरबों डॉलर की कंपनी,न एल्गोरिदम की चाबी। उसके पास केवल एक पोस्ट है–कभी-कभी वह भी नहीं बचती।

मंच वही सार्थक है,जहाँ हर आवाज को जगह मिले। मेटा स्वयं को अभिव्यक्ति का मंच कहता है। मंच पर सहमति और असहमति–दोनों सुनाई देनी चाहिए। लेकिन जब मंच का मालिक तय करने लगे कि कौन-सी आलोचना स्वीकार्य है और कौन-सी नहीं,तो वह संपादक,निर्णायक और प्रहरी–तीनों बन जाता है। 'हेट स्पीच' और'गलत सूचना' रोकना जरूरी है; हिंसा और घृणा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। लेकिन सत्ता की आलोचना को उसी श्रेणी में रखना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कसौटी यही है कि नियम सत्ता समर्थक और सत्ता विरोधी–दोनों पर समान लागू हों। यदि तराजू हर बार दबाव की ओर झुके, तो न्याय की परिभाषा बदल देना सबसे आसान रास्ता है।

सेंसरशिप की सबसे बड़ी जीत पोस्ट हटाना नहीं,लिखने से पहले हाथ रोक देना है। जब पत्रकार को सवाल पूछने पर अकाउंट बंद होने का डर हो, टिप्पणीकार को तीखी बात लिखना डिजिटल आत्महत्या लगे और नागरिक को पहुँच घटने का भय हो,तब सेंसरशिप सफल है। फिर सेंसर को कुछ करने की जरूरत नहीं;नागरिक अपने भीतर ही सेंसर बिठा लेता है। यही आत्म-सेंसरशिप लोकतंत्र को भीतर से खोखला करती है। लोग वही लिखते हैं जो सुरक्षित है,वही कहते हैं जो स्वीकार्य है और धीरे-धीरे सार्वजनिक बहस में असहमति की जगह प्रशंसा का शोर भर जाता है। चुप समाज बाहर से शांत,भीतर से लोकतांत्रिक रूप से बीमार होता है।

निजी स्वामित्व अधिकार देता है, जवाबदेही से छूट नहीं। मेटा निजी कंपनी है,इसलिए सामग्री हटाने का अधिकार रखती है...लेकिन यह आधा सच है। जब करोड़ों नागरिकों की बातचीत निजी प्लेटफॉर्मों पर निर्भर हो, तो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक को दी है,एल्गोरिदम को नहीं। इसलिए पारदर्शिता,निष्पक्ष अपील और स्वतंत्र निगरानी जरूरी है। हर कार्रवाई का कारण बताया जाए, प्रभावी अपील मिले और जांच हो कि नियम सभी पर समान लागू हैं या नहीं। अदालतों और नियामकों को डिजिटल सत्ता समझनी होगी, क्योंकि न्याय पीछे रहा तो कई आवाजें फैसला आने से पहले ही इतिहास बन जाएंगी। बात मेटा और किसी पत्रकार की नहीं, उस अधिकार की है जिससे लोकतंत्र जीवित रहता है–बोलने का अधिकार। सवाल है,नागरिक की आवाज संविधान तय करेगा या किसी कंपनी का 'कम्युनिटी स्टैंडर्ड'? सरकार को आलोचना से असहज होने के बजाय उसकी स्वतंत्रता बचानी चाहिए और प्लेटफॉर्म को मुनाफे व नियामकीय दबाव के बीच नागरिक अधिकारों को दबने नहीं देना चाहिए।

एनएच-343 में सड़क नहीं, 'लेन-देन' की परतें उखड़ीं!

जेई से एक्सईएन,एसई से एसडीएम तक पदों के सामने रकम का हिसाब!

एसपी,टीआई,फॉरेस्ट और मीडिया के नाम भी दर्ज होने का दावा...नाली में वाइब्रेटर की जगह लकड़ी से कंक्रीट दबाने का कथित वीडियो

-सुदामा राजवाड़े-

बलरामपुर,12 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने वाला एनएच-343 इन दिनों सिर्फ गड्ढों,कीचड़ और बदहाल यातायात के कारण चर्चा में नहीं है। सड़क की दुर्दशा के बीच सामने आए एक कथित वायरल ऑडियो,कथित कैश-बुक और निर्माण कार्य से जुड़े वीडियो ने अब पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया हैं। एक तरफ हाईवे पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं,दूसरी तरफ कथित हिसाब-किताब में सरकारी पदों और विभागों के नाम के सामने लाखों रुपए दर्ज दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर हर महीने 12 लाख रुपए तक की मंथली पहुंचाने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर, सामने आई कथित कैश-बुक में कुल 11 लाख 39 हजार रुपए के खर्च का हिसाब बताया जा रहा है। इसमें जेई,एसडीओ,एक्सईएन,एसई, एई,एसडीएम,टीआई और एसपी (बलरामपुर) जैसे पदों के सामने रकम लिखी होने का दावा है। जर्नलिस्ट और मीडिया के नाम पर भी राशि दर्ज दिखाई देती है।

हालांकि वायरल ऑडियो,कैश-बुक और वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसी अधिकारी,जनप्रतिनिधि,पत्रकार या विभाग पर इन सामग्रियों के आधार पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि ये दस्तावेज और दावे वास्तविक हैं,तो मामला केवल सड़क निर्माण की गुणवत्ता का नहीं, बल्कि सरकारी धन,कथित अवैध भुगतान और प्रशासनिक निगरानी की गंभीर जांच का बन जाता है। अब सवाल यह नहीं कि सड़क में गड्ढे क्यों हैं। सवाल यह है कि गड्ढों से भरी सड़क के पीछे कहीं हिसाब-किताब के भी गड्ढे तो नहीं छिपे हैं?

वायरल ऑडियो में 12 लाख की कथित मंथली का दावा...

सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित ऑडियो में एनएच-343 पर काम कर चुकी एक कंपनी के पूर्व कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति के बीच बातचीत होने की बात कही जा रही है। ऑडियो के संबंध में दावा है कि कर्मचारी भुगतान नहीं मिलने से परेशान था और उसने श्रम विभाग में शिकायत की थी। शिकायत के बाद कुछ भुगतान होने का भी कथित उल्लेख है। बातचीत का सबसे गंभीर हिस्सा कथित तौर पर वह है,जिसमें काम चलाने के लिए अधिकारियों और अन्य लोगों तक हर महीने रकम पहुंचाने की बात कही जा रही है। इसमें एक स्थान पर 12 लाख रुपए तथा अन्य स्थानों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए तक की कथित मंथली का उल्लेख होने का दावा है। ऑडियो में सीमेंट की गुणवत्ता,गिट्टी की सप्लाई,बिल पास कराने और निर्माण कार्य से जुड़े कथित लेन-देन की चर्चा होने की भी बात सामने आ रही है। यदि ऑडियो की आवाज,बातचीत और उसमें किए गए दावों की पुष्टि होती है,तो यह निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार के संभावित नेटवर्क की ओर संकेत कर सकता है। लेकिन किसी वायरल ऑडियो में कही गई बात अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं होती। इसकी आवाज किसकी है, बातचीत कब की है, संदर्भ क्या है, रकम वास्तव में दी गई या नहीं और कथित भुगतान का लाभ किसे मिला–इन सभी सवालों के जवाब तकनीकी और वित्तीय जांच से ही सामने आ सकते हैं।

11.39 लाख की कथित कैश-बुक में किसका कितना हिसाब?

वायरल ऑडियो के बाद सामने आई एक कथित कैश-बुक ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इसमें कुल 11 लाख 39 हजार रुपए खर्च होने का हिसाब दर्ज दिखाई देने का दावा है। कथित सूची में सरकारी पदों और विभागों के नाम के सामने रकम लिखी होने की बात कही जा रही है।

फोटो में दिखाई देने वाली प्रविष्टियों के आधार पर निम्न रकम दर्ज होने का दावा है:

तारीख	कथित प्रविष्टि	राशि
29 जनवरी	फॉरेस्ट पेनाल्टी	1,19,500
13 फरवरी	जेई	1,00,000
13 फरवरी	एसडीओ	1,00,000
23 फरवरी	एक्सईएन	1,00,000
23 फरवरी	एसपी (बलरामपुर)	15,000
2फरवरी	एसई	1,00,000
28 फरवरी	टीआई (रामानुजगंज)	10,000
28 फरवरी	फॉरेस्ट डिपार्टमेंट	25,000
1 मार्च	एसडीएम	20,000
2 मार्च	जेई	1,50,000
2 मार्च	एई	1,50,000
2 मार्च	एक्सईएन	1,50,000
2 मार्च	अकाउंटेंट	5,000
कथित अन्य प्रविष्टियां	जर्नलिस्ट	12,000
कथित अन्य प्रविष्टियां	मीडिया	12,500

महत्वपूर्ण : उपरोक्त प्रविष्टियां वायरल सामग्री में बताए गए दावों के आधार पर प्रस्तुत हैं। मूल कैश-बुक,उसकी पूर्ण फोटो,लेखा-पुस्तक,बिल और भुगतान रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच के बिना इसे वास्तविक भुगतान का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

कुल रकम और पदों के सामने दर्ज रकम में अंतर क्यों?

कथित कैश-बुक में कुल खर्च 11.39 लाख बताया जा रहा है। वहीं, सरकारी पदों के सामने दर्ज रकम करीब 9.95 लाख बैठती है। यदि इसमें जर्नलिस्ट,मीडिया,फॉरेस्ट पेनाल्टी और अन्य प्रविष्टियां जोड़ी जाएं,तो कुल रकम और पदवार रकम के बीच अंतर की भी जांच आवश्यक होगी। यही वह बिंदु है,जहां जांच एजेंसियों को सिर्फ वायरल फोटो देखकर निष्कर्ष निकालने के बजाय मूल दस्तावेजों तक पहुंचना होगा।

यदि कैश-बुक वास्तविक है तो सवाल होंगे...

- क्या यह कंपनी की आधिकारिक कैश-बुक है या किसी व्यक्ति की निजी नोटबुक?
- रकम किसके निर्देश पर लिखी गई?
- भुगतान नकद हुआ या बैंक के माध्यम से?
- क्या संबंधित रकम के बिल,वाउचर और रसीद उपलब्ध हैं?
- क्या रकम किसी वैध सरकारी शुल्क या विभागीय भुगतान के रूप में दर्ज है?
- सरकारी पदों के नाम के सामने लिखी रकम का वास्तविक प्राप्तकर्ता कौन था?
- क्या संबंधित अधिकारियों को इन प्रविष्टियों की जानकारी थी?
- क्या किसी ने कंपनी या ठेकेदार से अवैध रकम की मांग की?

किसी पद के नाम के सामने रकम लिखे होने से यह सिद्ध नहीं होता कि उस पद पर बैठे अधिकारी ने रकम ली है। लेकिन यदि लेखा-पुस्तक वास्तविक है और भुगतान का रिकॉर्ड मिलता है,तो इसकी जांच से बचना भी संभव नहीं होना चाहिए।

एसपी और टीआई के नाम सामने आने से जांच का दायरा बढ़ा : कथित कैश-बुक में एसपी (बलरामपुर) के सामने 15 हजार और टीआई (रामानुजगंज) के सामने 10 हजार लिखे होने का दावा है। यह प्रविष्टियां सत्य हैं या नहीं,इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिर भी पुलिस विभाग के पदों के नाम सामने आने से जांच का दायरा और संवेदनशील हो जाता है।

यदि किसी सरकारी अधिकारी के नाम पर रकम का हिसाब रखा गया है,तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि...

- क्या राशि वास्तव में संबंधित अधिकारी तक पहुंची?
- क्या यह किसी सरकारी कार्य, शुल्क या वैध भुगतान से संबंधित थी?
- क्या किसी मध्यस्थ ने अधिकारी के नाम का उपयोग किया?
- क्या कथित भुगतान का कोई स्वतंत्र गवाह या डिजिटल रिकॉर्ड है?

ऐसे मामलों में जांच का उद्देश्य किसी को पहले से दोषी ठहराना नहीं, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सच सामने लाना होना चाहिए।

'मीडिया' के नाम पर भी रकम,तो सवाल पत्रकारिता पर भी : कथित कैश-बुक में जर्नलिस्ट के नाम पर 12 हजार और मीडिया के नाम पर 12,500 दर्ज दिखाई देने का दावा है। यदि यह प्रविष्टि वास्तविक है, तो इसकी जांच केवल निर्माण कंपनी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मीडिया के नाम पर रकम किसे दी गई? क्या यह विज्ञापन भुगतान था? क्या कोई बिल या रसीद थी? क्या यह किसी खबर को रोकने, प्रकाशित करने या प्रभावित करने के लिए दी गई रकम थी? अथवा केवल किसी व्यक्ति द्वारा अपने हिसाब में लिखी गई राशि? इन सवालों का उत्तर जांच से ही मिल सकता है। पत्रकारिता की विश्वसनीयता के लिए भी यह आवश्यक है कि मीडिया के नाम पर दर्ज किसी भी कथित भुगतान की स्वतंत्र पुष्टि हो। लेकिन केवल 'जर्नलिस्ट' या 'मीडिया' शब्द लिखे होने से किसी पत्रकार पर आरोप सिद्ध नहीं होता। नाम, पहचान, भुगतान का प्रमाण और वास्तविक भूमिका सामने आने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

सड़क पर गड्ढे, हिसाब में लाखों...पैसा गया कहां? रामानुजगंज से बलरामपुर और बड़की महरी की दिशा में एनएच-343 के कई हिस्सों की बदहाल स्थिति पर स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आती रही हैं। बारिश के बाद गड्ढों, कीचड़ और खराब सड़क सतह से यातायात प्रभावित होने की बात कही जा रही है। कई जगह निर्माणाधीन हिस्सों में वाहनों की रफ्तार कम हो रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढों से बचने के दौरान वाहन चालकों को अचानक दिशा बदलनी पड़ती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। मरीजों, स्कूली बच्चों,दोपहिया वाहन चालकों और रोजमर्रा के यात्रियों की परेशानी भी सामने आ रही है। यहां व्यंग्य अपने आप जन्म लेता है–सड़क पर गड्ढे इतने कि वाहन चालक रास्ता खोजते रह जाएं,और कथित हिसाब में रकम इतनी कि जांचकर्ता अब भुगतान का रास्ता खोजें।

सड़क की गुणवत्ता खराब होने के कई कारण हो सकते हैं...अत्यधिक बारिश, भारी यातायात,जल निकासी की समस्या, निर्माण में देरी,रखरखाव की कमी या तकनीकी खामियां। इसलिए सिर्फ सड़क की बदहाली के आधार पर कमीशनखोरी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन सड़क की हालत और कथित वित्तीय अनियमितताओं का एक साथ सामने आना जांच की जरूरत को जरूर मजबूत करता है।

नाली निर्माण में वाइब्रेटर की जगह लकड़ी? निर्माण गुणवत्ता पर बड़ा सवाल : एनएच-343 के निर्माण कार्य से जुड़े कुछ कथित वीडियो में नाली निर्माण के दौरान कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए वाइब्रेटर मशीन की जगह लकड़ी के पटिये से दबाने का दावा किया जा रहा है। कंक्रीट को उचित तरीके से कॉम्पैक्ट करना निर्माण गुणवत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्यतः वाइब्रेटर का उपयोग कंक्रीट के अंदर फंसी हवा कम करने और मिश्रण को ठीक से बैठाने के लिए किया जाता है। हालांकि हर प्रकार के कंक्रीट और हर छोटे निर्माण में एक ही तकनीक अनिवार्य नहीं होती,यह डिजाइन,मिश्रण,कार्य-विधि और तकनीकी विनिर्देशों पर निर्भर करता है।

इसलिए कथित वीडियो की जांच में यह देखा जाना चाहिए कि...

- वीडियो किस स्थान और तारीख का है?
- नाली का डिजाइन और तकनीकी विनिर्देश क्या हैं?
- इस्तेमाल किया गया कंक्रीट किस ग्रेड का था?
- क्या निर्धारित कॉम्पैक्शन विधि अपनाई गई?
- क्या साइट इंजीनियर ने गुणवत्ता जांच की?
- क्या कंक्रीट के नमूने लिए गए?
- क्या नाली की मोटाई,ढाल और जल निकासी मानकों के अनुरूप है?

यदि वीडियो में मानकों की अनदेखी प्रमाणित होती है,तो संबंधित ठेकेदार,गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी और पर्यवेक्षण तंत्र की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

लकड़ी से दबेगा कंक्रीट या जिम्मेदारी? ग्रामीणों का आरोप है कि नाली की कंक्रीट को लकड़ी से दबाया जा रहा है। यदि यह सही है,तो सवाल सिर्फ मजदूर के हाथ में पकड़ी लकड़ी का नहीं है। सवाल उस इंजीनियरिंग व्यवस्था का है,जिसने मौके पर काम की निगरानी करनी थी। निर्माण स्थल पर मजदूर अपनी समझ से काम कर रहा था या उसे ऐसा करने के निर्देश दिए गए थे? क्या मशीन उपलब्ध थी? क्या काम की गति बढ़ाने के लिए मानक प्रक्रिया छोड़ी गई? क्या गुणवत्ता परीक्षण केवल कागजों पर हुआ? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब स्थल निरीक्षण, माप पुस्तिका,गुणवत्ता रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों के बयान से मिल सकता है। क्योंकि यदि नाली की कंक्रीट में मजबूती की जगह सिर्फ लकड़ी का सहारा है, तो बारिश में उसकी असली परीक्षा होना तय है।

जांच के लिए केवल कमेटी नहीं, दस्तावेज भी चाहिए : मामला गंभीर है, इसलिए सिर्फ औपचारिक जांच समिति बनाकर रिपोर्ट तैयार कर देना पर्याप्त नहीं होगा। जांच में वित्तीय,तकनीकी और प्रशासनिक–तीनों पहलुओं को शामिल करना जरूरी है।

वायरल ऑडियो की फोरेंसिक जांच

- मूल ऑडियो क्लिप जब्त कर उसकी डिजिटल फोरेंसिक जांच कराई जाए।
- आवाज की पहचान के लिए विधि-सम्मत वॉइस सैंपल लिए जाएं।
- ऑडियो में किसी प्रकार की एडिटिंग, कट-पेस्ट या छेड़छाड़ की जांच हो।
- बातचीत की तारीख,स्थान और संदर्भ का पता लगाया जाए।
- संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएं।

कथित कैश-बुक का मूल स्रोत तलाशा जाए...

- मूल कैश-बुक या उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाए।
- लिखावट,पन्नों,तारीखों और प्रविष्टियों की जांच हो।
- लेखा-पुस्तक कंपनी की है या किसी व्यक्ति की,यह स्पष्ट किया जाए।
- कथित भुगतान के बिल, वाउचर,रसीद और बैंक रिकॉर्ड का मिलान किया जाए।
- कैश-बुक में दर्ज रकम और कंपनी के आधिकारिक लेखांकन में अंतर की जांच हो।

सरकारी पदों के सामने लिखी रकम का सत्यापन...

- जेई,एसडीओ,एक्सईएन,एसई,एई, एसडीएम,टीआई और एसपी के नाम पर दर्ज कथित रकम के संबंध में संबंधित अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए।
- जांच में यह देखा जाए कि किसी वैध सरकारी शुल्क,दंड,विभागीय भुगतान या अन्य खर्च को गलत तरीके से अधिकारी के नाम पर तो नहीं लिखा गया। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिलता है,तो सक्षम एजेंसी द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए।

बैंक और नकद लेन-देन की जांच

यदि कथित भुगतान वास्तविक हैं,तो उनके स्रोत और गंतव्य की जांच होनी चाहिए। इसमें–

- कंपनी के बैंक खाते।
- ठेकेदार और संबंधित एजेंटों के बैंक खाते।
- नकद निकासी की तारीखें।
- भुगतान प्राप्तकर्ताओं के बयान।
- बिल और भुगतान स्वीकृति।
- कंपनी के लेखा विभाग के रिकॉर्ड।
- इन सभी का मिलान किया जाना चाहिए।

निर्माण सामग्री के नमूने लेकर स्वतंत्र परीक्षण

एनएच-343 में उपयोग की जा रही सीमेंट, गिट्टी, कंक्रीट और अन्य सामग्री के नमूने लेकर मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाए।

- विशेष रूप से जांच हो...
- सीमेंट की गुणवत्ता।
- कंक्रीट की निर्धारित ग्रेड के अनुरूप मजबूती।
- गिट्टी का आकार और गुणवत्ता।
- पानी और सीमेंट का अनुपात।
- सड़क की मोटाई।
- नाली की मोटाई और ढाल।
- जल निकासी की क्षमता।
- सड़क की सतह और बेस की गुणवत्ता।

थर्ड पार्टी तकनीकी ऑडिट

जांच किसी ऐसे विभागीय अधिकारी से न कराई जाए, जिसका उसी निर्माण कार्य से प्रत्यक्ष संबंध रहा हो। स्वतंत्र तकनीकी संस्था या विशेषज्ञ टीम से सड़क और नाली का परीक्षण कराया जाना चाहिए। इसमें ड्रॉइंग, डिजाइन, डीपीआर, माप पुस्तिका, गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट और भुगतान फाइलों का परीक्षण हो।

साइट निरीक्षण और वीडियो का मिलान

वायरल वीडियो में दिख रहे स्थानों की पहचान कर मौके का निरीक्षण कराया जाए। वीडियो कब बनाया गया, उस समय काम किस चरण में था और बाद में क्या सुधार हुआ–इन सभी बिंदुओं को रिकॉर्ड किया जाए। यदि वीडियो में गुणवत्ता की खामी मिलती है, तो दोषपूर्ण कार्य को सुधारने और जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई की जाए।

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा...लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : उक्त मामले के संबंध में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार आम जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है। इसके बाद भी संबंधित विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री के इस बयान से अब प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद बढ़ी है। लेकिन जनहित में यह जरूरी होगा कि जांच केवल बयान तक सीमित न रहे। जांच की समयसीमा तय हो, संबंधित दस्तावेज सुरक्षित किए जाएं और निष्पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

यदि निर्माण कार्य में अनियमितता मिलती है तो दोषियों पर कार्रवाई के साथ-साथ सड़क की मरम्मत,गुणवत्ता सुधार और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो : एनएच-343 जैसे राष्ट्रीय महत्व के मार्ग पर निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले अधिकारी और एजेंसियां जिम्मेदार हैं। यदि सड़क लंबे समय से खराब है,तो यह भी जांच का विषय है कि शिकायतों के बावजूद सुधार क्यों नहीं हुआ।

जांच में निम्न अधिकारियों और संस्थाओं की भूमिका का परीक्षण किया जाना चाहिए–

संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/निर्माण एजेंसी।

- परियोजना प्रबंधन और ठेकेदार कंपनी।
- गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी।
- साइट इंजीनियर और पर्यवेक्षण टीम।
- भुगतान स्वीकृत करने वाले अधिकारी।
- सड़क रखरखाव और मरम्मत से जुड़े जिम्मेदार विभाग।

यह जरूरी नहीं कि हर खराब सड़क भ्रष्टाचार का परिणाम हो। लेकिन जहां कथित वित्तीय अनियमितता और तकनीकी खामियों के आरोप एक साथ सामने आएं, वहां जिम्मेदारी तय करने के लिए गहन जांच आवश्यक हो जाती है।

सवाल जो अब प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं

- एनएच-343 के निर्माण और मरम्मत में अब तक कितनी राशि खर्च हुई?
- रामानुजगंज-बलरामपुर मार्ग के संबंधित हिस्से की वर्तमान तकनीकी स्थिति क्या है?
- सड़क की गुणवत्ता जांच की अंतिम रिपोर्ट कब तैयार हुई?
- क्या कथित कैश-बुक और वायरल ऑडियो प्रशासन के संज्ञान में हैं?
- क्या कथित रकम के संबंध में किसी विभागीय अधिकारी या कंपनी से पूछताछ हुई?
- 11.39 लाख रुपए के कथित खर्च का वास्तविक स्रोत और भुगतान प्राप्तकर्ता कौन हैं?
- सरकारी पदों के नाम के सामने लिखी रकम का क्या औचित्य है?
- क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी ने कंपनी से नकद भुगतान लिया?
- क्या कथित मीडिया भुगतान विज्ञापन, वैध सेवा या किसी अन्य मद से संबंधित था?
- नाली निर्माण में कंक्रीट कॉम्पैक्शन की निर्धारित तकनीक अपनाई गई या नहीं?
- क्या निर्माण सामग्री के नमूने लेकर स्वतंत्र लैब से जांच कराई जाएगी?
- सड़क की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है और सुधार की समयसीमा क्या है?

गड्ढों का इलाज चाहिए, कथित 'मंथली' का भी हिसाब चाहिए : एनएच-343 पर आम जनता को सिर्फ सड़क नहीं चाहिए,बल्कि सुरक्षित सड़क चाहिए। ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन नहीं,बल्कि आवागमन की सुविधा चाहिए। और सरकारी धन खर्च करने वाली एजेंसियों से सिर्फ कागजी रिपोर्ट नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण की जवाबदेही अपेक्षित है। कथित वायरल ऑडियो में 12 लाख रुपए की मंथली का दावा हो या कथित कैश-बुक में 11.39 लाख रुपए का हिसाब–इन दोनों की सच्चाई जांच से ही सामने आएगी। जांच निष्पक्ष होगी तो निर्दोषों पर लगे संदेह दूर होंगे और दोषी होंगे तो कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। फिलहाल एनएच-343 पर गड्ढे जनता को दिख रहे हैं। अब प्रशासन को यह दिखाना होगा कि इन गड्ढों को भरने के साथ-साथ कथित लेन-देन के सवालों का भी जवाब कैसे खोजा जाएगा। सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं तो जांच होनी चाहिए।

सरकारी पदों के नाम पर रकम लिखी है तो हिसाब होना चाहिए। और यदि भ्रष्टाचार सिद्ध होता है,तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि अगली बार सड़क पर गड्ढे मिलें भी तो उनके पीछे कथित कमीशन का सवाल खड़ा न हो।

फिलहाल वायरल ऑडियो,कथित कैश-बुक और वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित निर्माण कंपनी और विभाग का विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने आने पर ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

बाहर से लौटे चार लोगों में स्वाइन फ्लू,स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

रायपुर,दिल्ली और महाराष्ट्र की ट्रैवल हिस्ट्री, दो स्वस्थ, दो का इलाज जारी...मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का आइसोलेशन तैयार

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,12 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा में स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। जिले में अब तक चार मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि चारों मरीज हाल ही में जिले से बाहर यात्रा कर लौटे थे। इनमें रायपुर,दिल्ली और महाराष्ट्र की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। सभी मरीजों में करीब एक से दो सप्ताह पूर्व संक्रमण की पुष्टि हुई थी। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. शैलेंद्र गुप्ता के अनुसार,संक्रमित मरीज अंबिकापुर शहर में कोर्ट के पीछे और जेल परिसर के समीप के क्षेत्र के अलावा बतौली और चठिरमा के रहने वाले हैं। चारों मरीजों का उपचार रायपुर के अलग-अलग अस्पतालों में कराया गया है। इनमें दो मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि दो का उपचार अभी जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मरीजों की यात्रा के दौरान या उसके बाद संक्रमण की पुष्टि हुई। बाहर से लौटने के बाद लक्षण दिखाई देने पर जांच कराई गई, जिसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद मरीजों को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया। विभाग अब संक्रमित मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति के साथ उनकी संपर्क हिस्ट्री पर भी नजर रख रहा है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया है। जरूरत पड़ने पर संदिग्ध अथवा संक्रमित मरीजों को यहां अलग रखकर उपचार दिया जा सकेगा। अस्पताल प्रबंधन ने संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियां भी बढ़ा दी हैं। स्वाइन फ्लू में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना,सिरदर्द,शरीर में दर्द,ठंड लगना और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ मरीजों में उल्टी-दस्त की शिकायत भी देखी जा सकती है। सांस लेने में परेशानी,सीने में दर्द या लगातार तेज बुखार गंभीर संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील स्वास्थ्य विभाग ने की है।

CMYK

बारिश रुकेगी तो सड़क बनेगी,लेकिन गड्ढों का इंतजार कब खत्म होगा?

नगर निगम की बैठक में अक्टूबर मध्य से डामरीकरण का लक्ष्य,शहर की बदहाल सड़कों पर लोगों में नाराजगी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शहर की सड़कों पर गड्ढे,जगह-जगह उखड़ी सतह और बारिश के बाद बढ़ी परेशानी के बीच नगर पालिक निगम ने अब सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को गति देने की कवायद शुरू की है। आयुक्त विनय अग्रवाल की अध्यक्षता में तकनीकी टीम और सड़क निर्माण एजेंसियों की बैठक में बारिश रुकते ही गड्ढा भराई, समतलीकरण और नाली-पुलिया निर्माण शुरू कराने तथा अक्टूबर मध्य से डामरीकरण का लक्ष्य तय किया गया है। सवाल यह है कि जिन सड़कों की बदहाली लंबे समय से नजर आ रही थी, उनकी मरम्मत के लिए बारिश खत्म होने का इंतजार क्यों किया गया?

निगम के मुताबिक शहर में करीब 42 छोटे-बड़े सड़क निर्माण कार्य होने हैं। इनमें 36 कार्य

अधोसंरचना मद और 6 मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत शामिल हैं। बैठक में अभियंताओं को ठेकेदारों से समन्वय कर स्वीकृत कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन शहरवासियों के लिए यह घोषणा नई नहीं है। सड़क निर्माण को लेकर हर साल बारिश के पहले और बाद में योजनाएं,बैठकें और समय-सीमाएं सामने आती हैं। इसके बावजूद कई इलाकों में सड़क की हालत सवाल खड़े करती रही है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की परेशानी बढ़ती है, वहीं अस्थायी गड्ढा भराई के बाद सड़क दोबारा उखड़ने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।

अक्टूबर का इंतजार या गुणवत्ता की परीक्षा?

निगम ने अक्टूबर के मध्य से डामरीकरण शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अब असली परीक्षा सिर्फ सड़क बनाने की नहीं, बल्कि सड़क कितने समय तक टिकती है,इसकी होगी। सड़क निर्माण में गुणवत्ता, निर्धारित मोटाई, सामग्री की गुणवत्ता,बेस तैयार करने और जल निकासी जैसे पहलुओं की निगरानी नहीं हुई तो करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी समस्या स्थायी रूप से खत्म नहीं होगी। आयुक्त ने निर्माण एजेंसियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि निगम इन निर्देशों की मैदानी स्तर पर कितनी सख्ती से निगरानी करता है और खराब गुणवत्ता मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

गड्ढा भरने से आगे बढ़कर स्थायी समाधान जरूरी : शहर की सड़कों के लिए सिर्फ गड्ढा भराई को समाधान मानना पर्याप्त नहीं होगा। जहां सड़क बार-बार खराब हो रही है, वहां उसके मूल कारण–खराब ड्रेनेज, जलभराव, कमजोर बेस अथवा घटिया निर्माण–की पहचान जरूरी है। नाली और पुलिया का काम सड़क के साथ समन्वित रूप से नहीं हुआ तो नई सड़क भी अगली बारिश में सवालों के घेरे में आ सकती है।

अब निगाह इस बात पर रहेगी कि निगम की यह बैठक सिर्फ कागजी समय-सीमा तक सीमित रहती है या वास्तव में शहर की सड़कों पर बदलाव दिखाई देता है। अक्टूबर में डामरीकरण शुरू होने के बाद गुणवत्ता और काम की गति ही तय करेगी कि इस बार निगम की घोषणा गड्ढों से राहत में बदलती है या फिर अगले साल एक और बैठक की जरूरत पड़ती है।

चार बाइक में घूमने निकले 9 दोस्त, ट्रक की टक्कर से 12वीं के छात्र की मौत

अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर कल्याणपुर चौक के पास हादसा,साथी गंभीर घायल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर कल्याणपुर चौक के पास 11 सितंबर को ट्रक ने बाइक सवार दो छात्र को टक्कर मार दी। हादसे में 12वीं के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। दोनों एक बाइक पर सवार थे। हादसे के बाद ट्रक की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए और उसमें से धुआं निकलने लगा। जानकारी के अनुसार किशन यादव पिता भरत यादव (16) जशपुर जिले का रहने वाला था। वह अंबिकापुर में रहकर दशमेश पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। 11 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे वह अपने आठ दोस्तों के साथ अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर स्थित केरता घूमने जाने के लिए निकला था। सभी चार बाइकों पर सवार थे। घूमने के बाद सभी वापस अंबिकापुर लौट रहे थे। इसी दौरान कल्याणपुर चौक के पास ट्रक ने किशन और अंश की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों सड़क पर जा गिरे।

सिर में गंभीर चोट लगने से किशन मौके पर ही बेहोश हो गया। चौथी बाइक पर पीछे से आ रहे आयुष और सागर मंडल ने हादसा देखा तो अपनी बाइक रोक दी। दोनों ने किशन और अंश को सड़क पर घायल हालत में देखा। इसके बाद रास्ते से गुजर रही एक कार को रोककर दोनों घायलों को इलाज के लिए मिशन अस्पताल भेजा। इस बीच पीछे से अन्य दोस्त भी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टर ने किशन यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं अंश का उपचार जारी है। बताया गया कि किशन अपने आठ दोस्तों के साथ चार बाइकों में घूमने निकला था। सभी छात्र अंबिकापुर लौट रहे थे।

फर्जी पट्टा दिखाकर कोर्ट में कराते थे जमानत,7 आरोपी गिरफ्तार

कूटरचित दस्तावेजों से न्यायालय को गुमराह करने का आरोप,5 फर्जी पट्टे,आधार कार्ड,मोबाइल,लैपटॉप और प्रिंटर जब्त...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

न्यायालय में फर्जी दस्तावेज पेश कर आरोपियों की जमानत कराने वाले गिरोह का सरगुजा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी पट्टा एवं अन्य कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जरूरतमंद आरोपियों से पैसे लेकर उनकी जमानत में इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को 11 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग न्यायालय परिसर में पट्टा पुस्तिका और आधार कार्ड के जरिए आरोपियों से संपर्क कर पैसे लेकर जमानत कराने के लिए दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देश पर एएसपी रितेश चौधरी एवं सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में कोतवाली और साइबर सेल की

टीम मौके पर रवाना हुई। पुलिस ने मुखबिर के बताए हुलिए के आधार पर कला केंद्र मैदान के चबूतरे के पास संदिग्ध पुरुषों और महिलाओं को पकड़ा। पूछताछ के दौरान उनकी पहचान बुधराम गोंड, अजय मानिकपुरी उर्फ जयलाल, रामेश्वरी यादव, दशमेत गोंड और ममता पैकरा उर्फ बिलासो के रूप में हुई। आरोपियों के पास खड़ी एक्टिवा की डिक्की की तलाशी लेने पर 5 किसान पट्टा पुस्तिका और एक आधार कार्ड मिला। पुलिस के अनुसार दस्तावेजों पर प्रथम दृष्टया फर्जी सील एवं हस्ताक्षर संबंधी अनियमितताएं मिलीं। पूछताछ में आरोपियों ने कथित रूप से इन फर्जी पट्टों का इस्तेमाल न्यायालय में जमानत कराने के लिए किए जाने की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पट्टे राज जायसवाल से प्राप्त करना बताया। इसके बाद पुलिस ने राज जायसवाल को हिरासत में लिया। पूछताछ में फर्जी पट्टा तैयार कराने के लिए शशिभूषण सिंह से संपर्क करने की जानकारी सामने आने पर उसे भी पकड़ा गया।

ये सामान हुआ जब्त : पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 फर्जी पट्टे, फर्जी आधार कार्ड, 6 मोबाइल फोन, एक होंडा एक्टिवा स्कूटी, एक लैपटॉप, 2 प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस जब्त किए हैं। मामले में कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 639/26 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की जानकारी पुलिस ने दी है।

पुलिस की नागरिकों से अपील

सरगुजा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बिना जान-पहचान वाले लोगों को जमानत के लिए अपना पट्टा, ऋण पुस्तिका या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज न दें। ऐसे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से दस्तावेजों के दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहने की अपील की है।

न्याय की लड़ाई से जनसेवा तक,भाजपा विधि प्रकोष्ठ का संकल्प...

सरगुजा में परिचयात्मक सम्मेलन एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह संपन्न,जन्मेजय पाण्डेय बोले...अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे निःशुल्क न्याय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

भाजपा विधि प्रकोष्ठ सरगुजा का परिचयात्मक सम्मेलन एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह शनिवार को संकल्प भवन, भाजपा जिला कार्यालय अंबिकापुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, विधिक सहायता और आमजन तक कानूनी संरक्षण पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान न्याय जगत में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता,पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रथम सत्र में विधि प्रकोष्ठ के नवनियुक्त एवं सक्रिय अधिवक्ताओं का परिचयात्मक सत्र आयोजित किया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान : समारोह में पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश्वर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता पी.आर. कश्यप,लखन कश्यप,एस.के. पाण्डेय एवं एन.पी. सिंह को शॉल,श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

आपातकाल के संघर्षों को किया याद : पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश्वर सिंह ने आपातकाल के दौर के संस्मरण साझा करते हुए कहा कि उस समय भय और दबाव का माहौल था। इसके बावजूद सिद्धांतों,लोकतंत्र और न्याय की रक्षा के लिए कानूनी व वैचारिक लड़ाई लड़ी गई।

उन्होंने कहा कि आज विधि प्रकोष्ठ की विशाल टीम को देखकर गर्व होता है कि उस दौर में बोए गए संघर्ष के बीज आज वटवृक्ष बन चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता पी.आर. कश्यप ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका और संविधान की मर्यादा को बचाए रखना चुनौतीपूर्ण था। सीमित साधनों के बावजूद अधिवक्ताओं ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से सत्य, निष्ठा और शोषितों को न्याय दिलाने के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

विधिक सहायता शिविर की सराहना : भाजपा जिलाध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया ने कहा कि पूर्व में विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की संख्या सीमित थी,लेकिन जिला संयोजक जन्मेजय पाण्डेय के नेतृत्व में संगठन की विशाल और सशक्त टीम तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यसमिति, जिला पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सक्रियता सराहनीय है। सिसोदिया ने संकल्प भवन में हर माह के दूसरे और तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले विधिक सहायता शिविर की सराहना करते हुए कहा कि इसकी चर्चा और प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है।

अंतिम व्यक्ति तक निशुल्क न्याय पहुंचाने का संकल्प : विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जन्मेजय पाण्डेय ने अध्यक्षीय उद्बोधन में अतिथियों,वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं अधिवक्ता साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अनुभव और आशीर्वाद संगठन की वास्तविक पूंजी है। उन्होंने कहा कि विधि प्रकोष्ठ आमजन और असहाय लोगों को विधिक सहायता देने के लिए पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है। संकल्प भवन में प्रत्येक माह के दूसरे और तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले विधिक सहायता शिविर के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक निशुल्क न्याय और कानूनी संरक्षण पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। साथ ही अधिवक्ताओं के मान-सम्मान और हितों की रक्षा के लिए भी संगठन अग्रणी भूमिका निभाएगा।

जनप्रतिनिधियों ने भी किया संबोधित : समारोह को सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो,नगर पालिक निगम अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत,जिला पंचायत सरगुजा अध्यक्ष निरूपा सिंह,पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह,विद्यानंद मिश्रा एवं धनंजय मिश्रा ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने विधि प्रकोष्ठ के सेवाकार्यों और सक्रियता की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन विधि प्रकोष्ठ के सह-संयोजक सम्पूर्णान्क गुप्ता ने किया। समापन अवसर पर अधिवक्ता पीयूष कुमार त्रिपाठी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा विधि प्रकोष्ठ की प्रशंसा संगठन के लिए गौरव और आत्मसंतुष्टि का विषय है।

इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष,अरुणा सिंह,मधुसूदन शुक्ला,गौरांग सिंह,अशोक दुबे,विवेक सिंह, विनोद दुबे,सुदामा यादव,नितेश चंद्र शुक्ला, शैलेंद्र सिंह,उदय सिन्हा,मिथिलेश पाण्डेय, संजीव सेठ,श्याम लाल गुप्ता,अरविंद कन्नौजिया,राजेंद्र पैकरा,आशा तिवारी, अमरेंद्र गुप्ता,नीलम केशरवानी,संदीप तिवारी, ज्योति मंडल,साक्षी सिंह,अपूर्व विश्वकर्मा, मालती गुप्ता,नीलिमा टोप्पो,निशांत सिन्हा, कन्हैया साहू,सुरेंद्र साहू,सुनील गुप्ता,सुरेंद्र पाण्डेय,विवेक पाण्डेय,हिमांशु गुंजन,केशव वर्मा,अनिल सिंह,डी.के. प्रसाद,मनीष सिंह, राजू गुप्ता,सोनू सोनी,आशुतोष शुक्ला, प्रभाकर सेठी,प्रीतम साहू,दिनेश प्रसाद साहू,महिपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण एवं भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आप के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह समेत 120 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

टीएस सिंहदेव ने दिलाई सदस्यता,बोले...मौजूदा हालात से निपटने समान विचारधारा के लोगों का साथ आना जरूरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में सरगुजा इकाई के करीब 120 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने नवागत सदस्यों को सदस्यता की रसीद प्रदान कर एवं कांग्रेस की पट्टिका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान कोरबा लोकसभा के प्रभारी अध्यक्ष विजय नायक ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। शैला नृत्य और गाजे-बाजे के साथ रैली के रूप में राजीव भवन पहुंचे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल होने वालों में आप के प्रदेश संगठन मंत्री अलेक्जेंडर केरकेट्टा, सरगुजा जिलाध्यक्ष सीताराम मानिकपुरी, जोन सह प्रभारी नूर हसन अली सहित जिला संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल रहे। राजीव भवन के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश और प्रदेश की परिस्थितियों के अनुरूप समान विचार रखने वाले साथियों के बीच यह समझ बनी है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए

एक साथ आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ऐसे समय में कार्यकर्ताओं का पार्टी से जुड़ना उनके निःस्वार्थ भाव और परिस्थितियों से जूझने के संकल्प को दर्शाता है।

बूथ से जिले तक संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी : कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि राजेंद्र बहादुर सिंह जैसे जुझारू नेतृत्वकर्ता के कांग्रेस में आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने नवागत कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। आप से कांग्रेस में आए राजेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने का निर्णय लिया था, लेकिन पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने कहा कि टुकड़ों में बंटकर भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसी भावना के साथ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और टीएस सिंहदेव में आस्था जताते हुए कांग्रेस की सदस्यता ली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें अपनी पुरानी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों से उबरने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों का एकजुट होना जरूरी है।

कार्यक्रम को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल,निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद,पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता,अलेक्जेंडर केरकेट्टा एवं नूर हसन अली ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर हेमंत सिन्हा,विनय शर्मा,मोहम्मद इस्लाम,प्रशांत सिंह,इंद्रजीत सिंह धंजल,विनीत विशाल जायसवाल, लोकेश कुमार,मोहम्मद जमील खान, संजय सिंह,विकास शर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

17 सितंबर से कतराज भवन में बहेगी भागवत भक्ति की गंगा

- आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कृष्ण जन्मोत्सव,गोवर्धन पूजा,छप्पन भोग और रुक्मिणी विवाह होंगे विशेष आकर्षण
- कथा व्यास आचार्य राम जी मिश्र सुनाएंगे भागवत महापुराण की अमृतकथा,24 सितंबर को हवन-पूर्णाहुति और महाप्रसाद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शहर के कतराज मार्ग स्थित कतराज भवन में 17 सितंबर से आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। कतराज परिवार की ओर से आयोजित इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धा,भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का संगम देखने को मिलेगा। 17 से 24 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में कथा व्यास आचार्य राम जी मिश्र (ज्योतिषाचार्य), जिला रीवा (मध्यप्रदेश) श्रीमद्भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का रसपूर्ण वर्णन करेंगे। आयोजकों के अनुसार श्रीमद्भागवत कथा केवल कथा श्रवण का अवसर नहीं,बल्कि दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों के शमन का माध्यम भी है। कथा के दौरान भगवान की लीलाओं, भक्तों के चरित्र और धर्म के संदेशों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन में भक्ति,संस्कार और सदाचार अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।

सुबह मूल पाठ, शाम को कथा और झांकियां : कथा आयोजन के दौरान प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रीमद्भागवत मूल पाठ होगा। वहीं शाम 3 बजे से7 बजे तक कथा प्रवचन एवं धार्मिक झांकियों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया जा रहा है।

कलश यात्रा से होगा शुभारंभ : 17 सितंबर को प्रथम दिवस भव्य कलश यात्रा, मंडप पूजन,भगवान महात्म्य,भक्ति-नारद संवाद एवं धुंधकारी मोक्ष कथा के साथ आयोजन का शुभारंभ होगा। 18 सितंबर को राजा परीक्षित कथा,वराह अवतार एवं ध्रुव चरित्र का प्रसंग सुनाया जाएगा। 19 सितंबर को जड़भरत चरित्र, नृसिंह अवतार एवं वामन अवतार कथा के प्रमुख केंद्र में रहेंगे।

20 सितंबर को राम जन्म और कृष्ण जन्मोत्सव : भागवत कथा के दौरान 20 सितंबर का दिन विशेष रहेगा। इस दिन श्रीराम जन्म एवं श्रीकृष्ण जन्मोत्सव (नंदोत्सव) मनाया जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म प्रसंग को लेकर विशेष झांकी और उत्सव का आयोजन होगा। इसके बाद 21 सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं,गोवर्धन पूजा एवं छप्पन भोग उत्सव श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। 22 सितंबर को महारास लीला, कंस वध एवं श्री रुक्मिणी विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

सुदामा चरित्र से पूर्णाहुति तक आध्यात्मिक संदेश : 23 सितंबर को सुदामा चरित्र,परीक्षित मोक्ष,कथा विश्राम एवं व्यास पूजन होगा। वहीं 24 सितंबर को पूर्णाहुति, विशाल हवन एवं महाप्रसाद (भंडारा) के साथ आठ दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन होगा।

कतराज परिवार के सदस्य संभाल रहे आयोजन की जिम्मेदारी : श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन में जगदीश सिंह-मंजू सिंह,राजेश सिंह-अनिमा सिंह,संजय सिंह-सत्या सिंह,सतेंद्र सिंह-कामना सिंह,किशोर सिंह-कुसुम सिंह,अरुण सिंह-प्रेमा सिंह तथा किरण सिंह-पूजा सिंह सहित कतराज परिवार के सदस्य सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आयोजन की ओर से विनीत के रूप में श्रीमती उषा देवी सिंह एवं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सिंह ने श्रद्धालुओं से सहपरिवार कथा में पहुंचने और भागवत कथा का पुण्य लाभ लेने का आग्रह किया है। वहीं दर्शनाभिलाषी/विनीत–समस्त बघेल परिवार, गुदरी बाजार,अंधेरी बगीचा की ओर से भी श्रद्धालुओं को इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है।

भागवत कथा के बहाने संस्कार और भक्ति का संदेश : आयोजक परिवार का कहना है कि वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों का महत्व और बढ़ गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण मनुष्य को भक्ति के साथ जीवन के मूल संस्कारों और कर्तव्यों का बोध कराता है। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से लेकर भक्तों के चरित्र तक प्रत्येक प्रसंग जीवन को नई दिशा देने वाला है। कतराज परिवार ने अंबिकापुर एवं आसपास के श्रद्धालुओं से सहपरिवार कथा स्थल पहुंचकर भागवत कथा का श्रवण करने और इस आध्यात्मिक आयोजन के सहभागी बनने की अपील की है।

चुनाव समिति ही सवालों के घेरे में,जामा मस्जिद चुनाव में बढ़ा घमासान

तीन सदस्यों को हटाने की मांग,मतदाता सूची से लेकर कथित ऑडियो तक विवाद...

जामा मस्जिद चुनाव समिति पर उठे सवाल,तीन सदस्यों को हटाने की मांग...

जामा मस्जिद चुनाव में बढ़ा विवाद, मतदाता सूची और समिति की भूमिका पर सवाल...

चुनाव समिति ही विवादों में,जामा मस्जिद के निष्पक्ष चुनाव पर उठे सवाल...

जामा मस्जिद चुनाव में घमासान,कथित ऑडियो ने बढ़ाई हलचल...

मतदाता सूची से चुनाव समिति तक विवाद,जामा मस्जिद चुनाव में बढ़ा तनाव

-शमरोज खान-

सूरजपुर,12 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। शहर की करीब एक सदी पुरानी बताई जाने वाली जामा मस्जिद में मुतवल्ली/सदर पद के चुनाव को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है, वर्षों तक आपसी सहमति और सामाजिक समन्वय के आधार पर समिति के गठन की परंपरा के बाद पिछले कुछ वर्षों से यहां चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जा रही है,इस बार होने वाली चुनावी कवायद को तीसरा चुनाव बताया जा रहा है,लेकिन चुनाव से पहले ही मतदाता सूची,सदस्यता, चुनाव समिति की भूमिका, प्रत्याशियों को लेकर कथित पक्षपात और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में जामा मस्जिद के चुनाव सदस्य इकबाल खान ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज को लिखित शिकायत भेजकर चुनाव समिति के तीन सदस्यों में सेराज अहमद सेराजू,फिरोज खान और सरताज अली को समिति से हटाने की मांग की है,शिकायत में इन सदस्यों पर चुनाव मार्गदर्शिका और वक्फ बोर्ड के नियमों के कथित उल्लंघन,अभद्र व्यवहार तथा एक संभावित प्रत्याशी के खिलाफ पक्षपात करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं,हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित चारों सदस्यों का पक्ष सामने आना बाकी है,ऐसे में पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

100 साल पुरानी बताई जाती है जामा मस्जिद-स्थानीय लोगों के अनुसार सूरजपुर शहर की जामा मस्जिद काफी पुरानी है और इसे करीब 100 वर्ष पुराना बताया जाता है,मस्जिद से जुड़े लोगों की संख्या भी बड़ी है और स्थानीय स्तर पर इसे शहर की प्रमुख धार्मिक संस्थाओं में माना जाता है,लंबे समय तक मस्जिद की व्यवस्था और मुतवल्ली/समिति के गठन को लेकर चुनाव के बजाय आपसी सहमति को प्राथमिकता दी जाती रही है,समाज के लोगों के बीच चर्चा और सहमति के आधार पर व्यवस्था चलती रही थी,लेकिन पिछले कुछ वर्षों से स्थिति में बदलाव आया और समिति के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई,स्थानीय लोगों के अनुसार इस बार की प्रक्रिया तीसरे चुनाव के रूप में सामने आई है,यही चुनाव अब विवादों के बीच पहुंच गया है।

चुनाव से पहले ही क्यों बढ़ा विवाद?-मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव कराने के लिए गठित समिति पर ही यदि निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो जाएं तो चुनाव की विश्वसनीयता कैसे कायम रहेगी? शिकायतकर्ता का आरोप है कि चुनाव समिति के कुछ सदस्य अपनी भूमिका का निष्पक्ष निर्वहन करने के बजाय एक पक्ष के प्रति झुकाव रखते हैं,शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि समिति के कुछ सदस्य एक संभावित प्रत्याशी इश्तियाक अहमद के खिलाफ कथित रूप से सक्रिय हैं,यदि यह आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं,वहीं यदि आरोप तथ्यहीन हैं तो चुनाव समिति के सदस्यों को भी अपना पक्ष रखने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का अवसर मिलना चाहिए,यही वजह है कि अब विवाद का समाधान केवल चुनाव कराने से नहीं,बल्कि चुनाव से पहले उठे सवालों का जवाब देने से जुड़ गया है।

तीन सदस्यों को चुनाव समिति से हटाने की मांग-जामा मस्जिद चुनाव सदस्य इकबाल खान की ओर से वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को भेजे गए आवेदन में चुनाव समिति के तीन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चुनाव मार्गदर्शिका का कथित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है,चुनाव समिति के कुछ सदस्यों पर मनमानी करने का आरोप है,कार्यवाहक कमेटी के सदस्यों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया,एक संभावित प्रत्याशी के खिलाफ कथित रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है,ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है,शिकायतकर्ता ने वक्फ बोर्ड से मांग की है कि आरोपों की जांच कर संबंधित सदस्यों को चुनाव समिति से हटाया जाए और नई निष्पक्ष चुनाव समिति गठित की जाए।

मतदाता सूची भी बनी विवाद का केंद्र

उपलब्ध चुनाव संबंधी दस्तावेजों के अनुसार मतदाता सूची को लेकर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, एक पूर्व सूचना में 8 जून से 15 जून 2026 तक मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति का समय निर्धारित किया गया था,बाद में जारी दस्तावेज में नई समय-सारणी के अनुसार 4 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति की अवधि निर्धारित की गई है,सूचना में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नहीं है,वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना नाम जोड़ने के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं,इसके लिए वोटर आईडी और आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करने का उल्लेख है, यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है–जामा मस्जिद के चुनाव में मतदाता बनने के लिए सदस्यता का आधार क्या है और कौन व्यक्ति मतदान के लिए पात्र है? यदि इस सवाल का स्पष्ट और लिखित उत्तर सभी सदस्यों के सामने रखा जाए तो विवाद काफी हद तक समाप्त हो सकता है।

एक मस्जिद की सदस्यता बनाम दूसरे क्षेत्र का हस्तक्षेप?

सूरजपुर में अलग-अलग क्षेत्रों में कई मस्जिदें होने की बात स्थानीय लोग बताते हैं, सामान्य तौर पर लोग अपने क्षेत्र की मस्जिद की गतिविधियों और व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, ऐसे में जामा मस्जिद के चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी अन्य क्षेत्र या दूसरी मस्जिद से जुड़े व्यक्ति को जामा मस्जिद के चुनाव में मतदाता अथवा निर्णायक भूमिका मिल सकती है? शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में ऐसे लोगों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है जिनका जामा मस्जिद की नियमित सदस्यता से सीधा संबंध नहीं है,यह आरोप भी जांच का विषय है,चुनाव की निष्पक्षता के लिए आवश्यक होगा कि चुनाव समिति और वक्फ बोर्ड स्पष्ट करें कि मतदाता सूची तैयार करने का आधार क्या है और सदस्यता के कौन से दस्तावेज मान्य हैं।

क्या चुनाव समिति की भूमिका पर उठे सवालों की जांच होगी?

किसी भी चुनाव में चुनाव समिति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, मतदाता सूची तैयार करने से लेकर नामांकन,स्क्रूटनी,प्रचार अवधि,मतदान और परिणाम तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी समिति के जिम्मे होती है,ऐसे में समिति के सदस्यों पर पक्षपात का आरोप लगना स्वयं में गंभीर विषय है,हालांकि केवल शिकायत के आधार पर आरोपों को सत्य नहीं माना जा सकता,लेकिन यदि लिखित शिकायत के साथ दस्तावेज,गवाह या अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच कराना आवश्यक हो जाता है,इससे न केवल शिकायतकर्ताओं को संतुष्टि मिलेगी,बल्कि चुनाव समिति पर लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविक स्थिति भी सामने आएगी।

कथित ऑडियो ने बढ़ाई चुनावी हलचल...

विवाद के बीच चुनाव समिति के सदस्यों से संबंधित बताया जा रहा एक कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की चर्चा है, दावा किया जा रहा है कि बातचीत में कुछ लोगों के बीच एक-दूसरे के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया,हालांकि इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और आवाजों की प्रामाणिकता भी आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं है, इसके बावजूद कथित ऑडियो ने चुनाव समिति की विश्वसनीयता को लेकर चर्चा तेज कर दी है,लोगों का सवाल है कि यदि चुनाव समिति के भीतर ही सदस्यों के बीच मतभेद हैं तो वे पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार निष्पक्ष तरीके से संचालित करेंगे? इसलिए ऑडियो को आधार बनाकर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के बजाय उसकी तकनीकी जांच और सत्यापन कराया जाना ही उचित रास्ता होगा।

चुनाव कार्यक्रम में भी हुआ बदलाव-उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी सामने आता है कि जामा मस्जिद चुनाव के लिए पहले एक समय-सारणी जारी की गई थी और बाद में नई समय-सारणी जारी की गई,पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान की तारीख 11 जुलाई 2026 निर्धारित थी,वहीं बाद में जारी समय-सारणी के अनुसार मतदान अब 10 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है,नई समय-सारणी के मुताबिक–4 से 11 सितंबर– मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति,17 एवं 18 सितंबर–नामांकन फार्म वितरण,20 एवं 21 सितंबर–नामांकन फार्म जमा,25 सितंबर – फार्मों की स्क्रूटनी,30 सितंबर–फार्म वापसी एवं वोटर लिस्ट,1 अक्टूबर–प्रत्याशियों के नाम नोटिस बोर्ड पर,2 से 9 अक्टूबर–चुनाव प्रचार, 10 अक्टूबर–मतदान एवं मतगणना/परिणाम,दस्तावेज के अनुसार मतदान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जामा मस्जिद क्षेत्र स्थित कार्यालय में कराया जाना प्रस्तावित है।

पहले चुनाव,अब विवाद...क्यों महत्वपूर्ण है यह चुनाव?-मस्जिद की प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े चुनाव में केवल एक व्यक्ति का चयन नहीं होता,मुतवल्ली या प्रबंधन से जुड़े पदों के माध्यम से मस्जिद की व्यवस्थाओं,संपत्ति,धार्मिक गतिविधियों और प्रशासनिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित हो सकते हैं,इसी वजह से चुनाव में शामिल सदस्यों के बीच यह अपेक्षा रहती है कि प्रक्रिया स्पष्ट नियमों के तहत हो और किसी भी व्यक्ति या समूह को अनुचित लाभ न मिले, स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवाल इसी व्यापक चिंता से जुड़े हैं।

चुनाव रोकने की मांग नहीं,निष्पक्ष चुनाव की मांग-शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों को देखने पर विवाद का एक प्रमुख पहलू यह भी सामने आता है कि शिकायतकर्ता चुनाव प्रक्रिया समाप्त करने की मांग के बजाय निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव समिति की भूमिका की समीक्षा और आवश्यकता पड़ने पर नई समिति बनाने की मांग कर रहे हैं,यानी विवाद का मूल प्रश्न यह नहीं है कि चुनाव होना चाहिए या नहीं,बल्कि यह है कि चुनाव किस नियम और किस निगरानी व्यवस्था के तहत होगा, यदि सभी पक्षों को समान अवसर मिले,मतदाता सूची स्पष्ट हो, पात्र मतदाताओं की पहचान तय नियमों के अनुसार हो और चुनाव समिति की निष्पक्षता पर भरोसा कायम हो तो चुनाव परिणाम को स्वीकार करना भी आसान होगा।

वक्फ बोर्ड के सामने अब कई सवाल- इस पूरे मामले में अब नजर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड पर है, बोर्ड के सामने मुख्य रूप से ये सवाल हैं क्या चुनाव समिति के तीन सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच होगी? मतदाता सूची तैयार करने का आधार क्या है? जामा मस्जिद के चुनाव में सदस्यता और मतदान की पात्रता किस नियम से तय होगी? अन्य मस्जिदों या क्षेत्रों से जुड़े लोगों की भूमिका क्या होगी? चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किस आधार पर किया गया? कथित ऑडियो की सत्यता की जांच कराई जाएगी या नहीं? यदि समिति पर आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या नई निष्पक्ष समिति गठित की जाएगी? इन सवालों के स्पष्ट जवाब चुनाव से पहले मिलना इसलिए जरूरी है ताकि मतदान के बाद परिणाम को लेकर नया विवाद खड़ा न हो।

प्रशासन की चुप्पी भी चर्चा में-मामले में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं,हालांकि मस्जिद के आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया संबंधित धार्मिक संस्था और वक्फ व्यवस्था के नियमों के तहत संचालित होती है,लेकिन यदि विवाद कानून-व्यवस्था अथवा सार्वजनिक शांति से जुड़ता है तो प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, ऐसे में प्रशासन और वक्फ बोर्ड के स्तर से यह स्पष्ट किया जाना जरूरी होगा कि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और विवाद की स्थिति में किसकी क्या जिम्मेदारी है।

अब असली परीक्षा निष्पक्षता की-जामा मस्जिद चुनाव की प्रक्रिया अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां किसी एक पक्ष के आरोप या दावे से ज्यादा महत्वपूर्ण निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया है,चुनाव समिति पर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह जांच का विषय है, कथित ऑडियो वास्तविक है या नहीं,यह तकनीकी परीक्षण से स्पष्ट हो सकता है, मतदाता सूची में कौन पात्र है,यह निर्धारित नियमों से तय किया जा सकता है,लेकिन यदि इन सवालों का समाधान मतदान से पहले नहीं हुआ तो 10 अक्टूबर का चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी विवाद समाप्त होने के बजाय और बढ़ सकता है,जामा मस्जिद के चुनाव में अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि 'कौन जीतेगा?–बड़ा सवाल यह है कि'क्या चुनाव प्रक्रिया पर सभी पक्षों का भरोसा कायम रहेगा?' वक्फ बोर्ड की निष्पक्ष जांच,स्पष्ट मतदाता सूची और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया ही इस विवाद का सबसे विश्वसनीय समाधान बन सकती है।

विश्रामपुर में चोरी की तीन वारदातों का खुलासा,2 अपचारी बालक समेत 4 पकड़े गए

बिजली दुकान से डेढ़ लाख का केबल चोरी,दो मकानों से एक लाख से अधिक नकदी और सोने-चांदी के जेवर उड़ाए

-शमरोज खान-

सूरजपुर,12 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। विश्रामपुर थाना क्षेत्र में चोरी की अलग-अलग तीन वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो विधि से संघर्षरत बालकों सहित कुल चार लोगों को पकड़ा है,पुलिस के अनुसार पूछताछ में तीनों चोरी की घटनाओं में संलिप्तता सामने आई है। मामले में चोरी का सामान खरीदने वाले इम्तियाज खान और अर्जुन सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है,जबकि दोनों विधि से संघर्षरत बालकों को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक पहली घटना केशवनगर मेन रोड स्थित बिजली दुकान में हुई थी,जहां अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर कॉपर केबल और अन्य सामान चोरी कर लिया था,चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है।

ताला तोड़कर बिजली दुकान से डेढ़ लाख का सामान चोरी-ग्राम केशवनगर निवासी नूरैन सिद्दीकी ने विश्रामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 सितंबर 2026 की दरम्यानी रात केशवनगर मेन रोड स्थित उनकी बिजली दुकान का ताला तोड़कर चोर कॉपर केबल सहित अन्य सामान ले गए, रिपोर्ट के आधार पर पुलिस

ने अपराध क्रमांक 216/2026, धारा 331(4), 305(ए), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की,मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने आरोपियों की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन के मार्गदर्शन में थाना विश्रामपुर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई।

मुखबिर की सूचना से खुली चोरी की कड़ियां- विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से कुछ संदिग्धों के संबंध में सूचना मिली। पुलिस ने दो विधि से संघर्षरत बालकों को पकड़ा और पूछताछ की, पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने केशवनगर स्थित बिजली दुकान में चोरी करना स्वीकार किया, उन्होंने कथित तौर पर यह भी बताया कि चोरी किए गए केबल वायर को जलाकर अंबिकापुर निवासी इम्तियाज खान को बेच दिया था, इसके बाद पुलिस ने चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों तक भी जांच को आगे बढ़ाया।

एक ही पूछताछ में सामने आई दो और चोरियां-पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों बालकों ने विश्रामपुर क्षेत्र में चोरी की दो अन्य घटनाओं के संबंध में भी जानकारी दी,पहली घटना 12 जून 2026 को विश्रामपुर की 1-बी कॉलोनी में मिथलेश गुप्ता के घर हुई थी,पुलिस के मुताबिक यहां से करीब 51 हजार रुपये नकद तथा सोने-चांदी के जेवर चोरी किए गए थे,कथित रूप से चोरी के जेवर अर्जुन सोनी को बेचने की बात सामने आई, जबकि नकदी खर्च कर दी गई,इस मामले में थाना विश्रामपुर में अपराध क्रमांक 215/2026 के तहत प्रकरण दर्ज है।

मंगतराम चौक के मकान को भी बनाया निशाना-इसी तरह 1-बी कॉलोनी, मंगतराम चौक निवासी संतोष साहू के घर से भी नकदी और जेवर चोरी किए जाने की जानकारी पुलिस को पूछताछ के दौरान मिली, पुलिस के अनुसार यहां से करीब 50 हजार रुपये नकद तथा सोने-चांदी के जेवर चोरी किए गए थे। कथित तौर पर यह सामान भी अर्जुन सोनी को बेचा गया, इस घटना के संबंध में थाना विश्रामपुर में अपराध क्रमांक 148/2026, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है।

चोरी का माल खरीदने वाले दो आरोपी गिरफ्तार-पुलिस ने चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त के आरोप में इम्तियाज खान, पिता नसीम खान,उम्र 36 वर्ष,निवासी मोमिनपुरा,थाना कोतवाली अंबिकापुर तथा अर्जुन सोनी, पिता संतोष सोनी, उम्र 31 वर्ष, निवासी तलवापारा,शिवनंदनपुर को पकड़ा, पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने चोरी का सामान खरीदना स्वीकार किया। आरोपी इम्तियाज खान के कब्जे से 7 किलो 500 ग्राम केबल वायर बरामद किया गया है, बरामदगी के बाद पुलिस ने चोरी के माल की खरीद-फरोख्त से जुड़े नेटवर्क के संबंध में भी जांच आगे बढ़ाई है।

अर्जुन सोनी पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है-पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अर्जुन सोनी पूर्व में चोरी का सामान खरीदने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है,पुलिस ने उसे थाना विश्रामपुर का निगरानीशुदा बदमाश भी बताया है, इस पुराने रिकॉर्ड के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई में चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त की कड़ी भी जांच के दायरे में आ गई है।

दो बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किया पेश-मामले में गिरफ्तार दोनों वयस्क आरोपियों को पुलिस ने नियमानुसार गिरफ्तार किया है,जबकि दो विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, पुलिस ने तीनों चोरी की घटनाओं से जुड़े तथ्यों, चोरी गए सामान और उसके कथित खरीदारों के संबंध में जांच जारी रखी है, बरामद सामान के आधार पर प्रकरणों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका-पूरे मामले के खुलासे में थाना प्रभारी विश्रामपुर रूपेश कुंतल,एएसआई हरिशंकर तिवारी,प्रधान आरक्षक दरश देवांगन और आरक्षक अजय प्रताप सिंह की सक्रिय भूमिका रही,पुलिस के अनुसार तीन अलग-अलग चोरी की घटनाओं की कड़ियां जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई गई और चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त से जुड़े आरोपियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया।

तीन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़े किए सवाल-विश्रामपुर क्षेत्र में एक बिजली दुकान और दो आवासीय मकानों में चोरी की घटनाओं के सामने आने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे थे, पुलिस द्वारा मामले का खुलासा किए जाने से जहां तीन प्रकरणों की जांच को दिशा मिली है, वहीं चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त करने वालों तक पहुंचना भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है,हालांकि आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों और उनकी भूमिका का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।

संभागायुक्त ने संयुक्त जिला कार्यालय का किया निरीक्षण

विभिन्न शाखाओं में नस्तियों के संधारण एवं कार्यप्रणाली का लिया जायजा

ई-ऑफिस प्रणाली का करें अनिवार्य उपयोग - संभागायुक्त

- लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश
- राजस्व कार्यालयों में कार्यप्रणाली की समीक्षा
- लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस
- कार्यालय परिसर में आम का पौधारोपण
- पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता पर जोर

हरित प्रशासन समृद्ध भविष्य

संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने खंगाले सरकारी दफ्तर, लापरवाही पर नोटिस के निर्देश

सूरजपुर के दफ्तरों में संभागायुक्त की दस्तक...लंबित प्रकरणों पर कसा शिकंजा...

- ई-ऑफिस अनिवार्य,लंबित राजस्व प्रकरणों पर तेजी–संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा सख्त
- दफ्तरों में निरीक्षण,फाइलों की पड़ताल और लापरवाही पर नोटिस–संभागायुक्त का कड़ा रुख
- संयुक्त जिला कार्यालय से तहसील तक निरीक्षण,कामकाज में लापरवाही पर जवाबदेही तय
- नस्तियां व्यवस्थित रखें,राजस्व प्रकरण समय पर निपटाएं–संभागायुक्त के सख्त निर्देश
- लटोरी से सूरजपुर तक संभागायुक्त का निरीक्षण,लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस
- ई-ऑफिस से पारदर्शिता,पुराने राजस्व मामलों का शीघ्र निराकरण–दुग्गा
- सरकारी कामकाज की पड़ताल करने मैदान में उतरे संभागायुक्त,अधिकारियों को दी दो टूक हिदायत

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,12 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने शुक्रवार को सूरजपुर जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली की जमीनी स्थिति का जायजा लिया, उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के साथ-साथ तहसील कार्यालय लटोरी,तहसील कार्यालय सूरजपुर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय सूरजपुर का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने कार्यालयों में नस्तियों के संधारण,लंबित प्रकरणों, राजस्व मामलों के निराकरण, अभिलेखों की स्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग की बारीकी से जानकारी ली। जहां आवश्यक सुधार की जरूरत दिखाई दी, वहां संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए, वहीं कार्यालयीन कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए, संभागायुक्त ने अधिकारियों-कर्मचारियों को स्पष्ट किया कि शासकीय कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

ई-ऑफिस का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें...

संयुक्त जिला कार्यालय के निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने अधीक्षक शाखा सहित विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली देखी, उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि कार्यालयीन कार्यों में मैनुअल फाइलों के बजाय ई-ऑफिस प्रणाली का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए,उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली के माध्यम से फाइलों की आवाजाही, पत्राचार और लंबित मामलों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है, इससे कामकाज में पारदर्शिता के साथ-साथ गति और जवाबदेही भी बढ़ती है,संभागायुक्त ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से डिजिटल प्रणाली का नियमित उपयोग सुनिश्चित करने तथा नागरिकों से संबंधित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने को कहा।

आवक-जावक शाखा में पत्राचार व्यवस्था की ली जानकारी

संभागायुक्त ने आवक-जावक शाखा का निरीक्षण कर डाक प्राप्ति और प्रेषण की प्रक्रिया की जानकारी ली,उन्होंने निर्देशित किया कि कार्यालय में प्राप्त होने वाले और यहां से प्रेषित किए जाने वाले समस्त पत्राचार को नियमानुसार ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संपादित किया जाए,उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से पत्राचार की निगरानी आसान होगी और यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन-सा पत्र किस स्तर पर लंबित है,इससे समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

वित्त शाखा में लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी

वित्त शाखा के निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली,उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए,उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और जिन मामलों में किसी स्तर पर प्रक्रिया लंबित है, उनका समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सूरजपुर तहसील में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा

इसके बाद संभागायुक्त ने तहसील कार्यालय सूरजपुर का निरीक्षण किया,उन्होंने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कक्ष में पहुंचकर लंबित राजस्व प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली,उन्होंने निराकृत प्रकरणों को नियमानुसार नस्तीबद्ध करने की प्रक्रिया पूरी करने तथा लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए, संभागायुक्त ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में केवल संख्या बढ़ाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्णय की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा दोनों का ध्यान रखना जरूरी है।

अतिरिक्त न्यायालय शाखा में भी लंबित मामलों की समीक्षा

संभागायुक्त ने अतिरिक्त न्यायालय शाखा का निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली,उन्होंने आरबीसी 6-4 सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि राजस्व एवं न्यायालयीन प्रकृति के मामलों में अनावश्यक देरी से आम नागरिकों को परेशानी होती है,इसलिए लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण किया जाना चाहिए।

लटोरी तहसील में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस

संभागायुक्त ने तहसील कार्यालय लटोरी का निरीक्षण करते हुए विभिन्न शाखाओं में चल रहे कार्यों और अभिलेखों के संधारण की स्थिति देखी,निरीक्षण के दौरान कार्यालयीन कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने कानूनगो श्री शरद अंबष्ट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने की हिदायत दी, उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी कार्य सीधे आम नागरिकों के अधिकारों और हितों से जुड़े होते हैं,इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

एसडीएम कार्यालय में पुराने प्रकरणों पर विशेष जोर...

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय सूरजपुर के निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने अनरजिस्टर्ड प्रकरणों की जानकारी ली, उन्होंने ऐसे सभी प्रकरणों को नियमानुसार पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए,उन्होंने वर्षों से लंबित पुराने राजस्व प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली और कहा कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए,उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों की नियमित समीक्षा होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकरण के अनावश्यक रूप से वर्षों तक लंबित रहने की स्थिति न बने।

नस्तियों का व्यवस्थित संधारण जरूरी

संयुक्त जिला कार्यालय की अन्य शाखाओं के निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने भू-अभिलेख,खाद्य विभाग सहित विभिन्न कार्यालयों का भ्रमण किया,उन्होंने शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया कि सभी नस्तियों और अभिलेखों का व्यवस्थित, सुरक्षित एवं अद्यतन संधारण सुनिश्चित किया जाए,उन्होंने कार्यालयों में फाइलों की उपलब्धता,उनके संधारण और लंबित मामलों की स्थिति पर नियमित निगरानी रखने की जरूरत बताई।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश, परिसर में लगाया आम का पौधा

प्रशासनिक निरीक्षण के साथ संभागायुक्त ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया,इस अवसर पर उपायुक्त सरगुजा आर.के. खूंटे और उपायुक्त शारदा अग्रवाल ने भी विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया,पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर रेना जमील,जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र पाटले, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवानी जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण का संदेश साफ फाइलें नहीं,परिणाम चाहिए...

संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा के निरीक्षण के दौरान एक ओर जहां ई-ऑफिस के शत-प्रतिशत उपयोग और अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण पर जोर दिया गया,वहीं दूसरी ओर लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने का संदेश भी दिया गया,लटोरी और सूरजपुर तहसील कार्यालय में कारण बताओ नोटिस के निर्देश यह संकेत देते हैं कि निरीक्षण को केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित रखने के बजाय कार्यालयीन कार्यप्रणाली में वास्तविक सुधार और जवाबदेही पर जोर दिया जा रहा है,अब महत्वपूर्ण यह होगा कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन किस स्तर तक होता है और वर्षों से लंबित प्रकरणों के निराकरण में कितनी तेजी आती है।

राजस्व अभिलेख व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के निर्देश

कानूनगो शाखा के निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने राजस्व अभिलेखों और फाइलों के संधारण की स्थिति देखी,उन्होंने सभी अभिलेखों को व्यवस्थित, सुरक्षित और अद्यतन रखने के निर्देश दिए, उन्होंने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने और जहां भी कार्यप्रणाली में कमी मिले, वहां तत्काल सुधार सुनिश्चित करने को कहा।

पासबुक,सर्विस बुक और कैशबुक का किया अवलोकन

संभागायुक्त ने निरीक्षण के दौरान पासबुक,सर्विस बुक,कैशबुक,गोशवारा सहित विभिन्न कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन किया,उन्होंने इन अभिलेखों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अद्यतन एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए,इसके अलावा उन्होंने नाजिर शाखा,भुईयां शाखा और निर्वाचन शाखा का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों से वहां संचालित कार्यों की जानकारी ली,कार्यालयीन कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर तहसील कार्यालय में राजेश साहू के संबंध में भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

प्राकृतिक चिकित्सा से स्वास्थ्य जागरूकता को मिल रही नई दिशा,गायत्री शक्तिपीठ में 20 जून से जारी है सेवा

मां भगवती प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में महिला-पुरुष ले रहे उपचार का लाभ,योग-प्राणायाम,संतुलित आहार और स्वस्थ दिनचर्या के लिए भी किया जा रहा प्रेरित

-संवाददाता-

सूरजपुर,12 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बदलती जीवनशैली, अनियमित खान-पान और दिनचर्या में बढ़ते असंतुलन के बीच प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के प्रति लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है, इसी उद्देश्य से सूरजपुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ परिसर में अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में मां भगवती प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का संचालन 20 जून से किया जा रहा है। केंद्र में प्रतिदिन महिला और पुरुष उपचार एवं स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्र की खासियत यह है कि यहां उपचार के साथ लोगों को योग, प्राणायाम,संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है, केंद्र से जुड़े लोगों के अनुसार,इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है।

प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योग और जीवनशैली पर जोर-मां भगवती प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आने वाले लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उपचार एवं मार्गदर्शन दिया जा रहा है,इसके साथ ही योग चिकित्सा, पंचकर्म,एक्यूप्रेशर,हाइड्रोकोलोन थेरेपी और बॉडी मसाज जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, केंद्र में लोगों को केवल उपचार लेने तक सीमित नहीं रखा जाता,बल्कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए दैनिक दिनचर्या, खान-पान और योगाभ्यास से जुड़े व्यावहारिक सुझाव भी दिए जाते हैं, केंद्र से जुड़े लोगों का कहना है कि सेवा प्रारंभ होने के बाद से लगातार बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष यहां पहुंच रहे हैं,उपचार लेने वाले लोगों द्वारा राहत एवं स्वास्थ्य में सुधार महसूस किए जाने की बात भी केंद्र से जुड़े लोगों ने कही है। हालांकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या में उपचार की उपयुक्तता व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करती है और आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है।

प्रशिक्षित चिकित्सकों की देखरेख में संचालित केंद्र-केंद्र का संचालन देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से प्रशिक्षित चिकित्सक अविनाश पंडित एवं जयवंती सजवाण के नेतृत्व में किया जा रहा है,प्रशिक्षित विशेषज्ञों की देखरेख में विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों और योग आधारित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है,केंद्र में आने वाले लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपलब्ध सेवाओं और दिनचर्या में किए जाने वाले आवश्यक बदलावों के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाता है।

दूर-दराज से आने वालों के लिए ठहरने और भोजन की सुविधा-प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लेने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को देखते हुए केंद्र परिसर में ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की गई है,इससे ऐसे मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा मिलती है, जिन्हें उपचार एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एक से अधिक दिन रुकना पड़ता है,स्थानीय स्तर पर यह व्यवस्था उपलब्ध होने से आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को उपचार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम हो सकती है।

स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता पर भी जोर-केंद्र से जुड़े लोगों के अनुसार, वर्तमान समय में अनियमित खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनावपूर्ण दिनचर्या के कारण लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना भी है, योग,प्राणायाम,संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र में आने वाले लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी जाती है।

स्थानीय लोगों को मिल रही सुविधा

गायत्री शक्तिपीठ परिसर में संचालित मां भगवती प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र सूरजपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का एक विकल्प उपलब्ध करा रहा है। बड़ी संख्या में महिला-पुरुष यहां पहुंचकर विभिन्न सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा,योग और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में यह पहल क्षेत्र में जनसेवा से जुड़ा प्रयास बनकर सामने आई है,स्थानीय स्तर पर उपचार,योग प्रशिक्षण,खान-पान संबंधी मार्गदर्शन और बाहर से आने वालों के लिए ठहरने-भोजन की सुविधा इस केंद्र की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं।

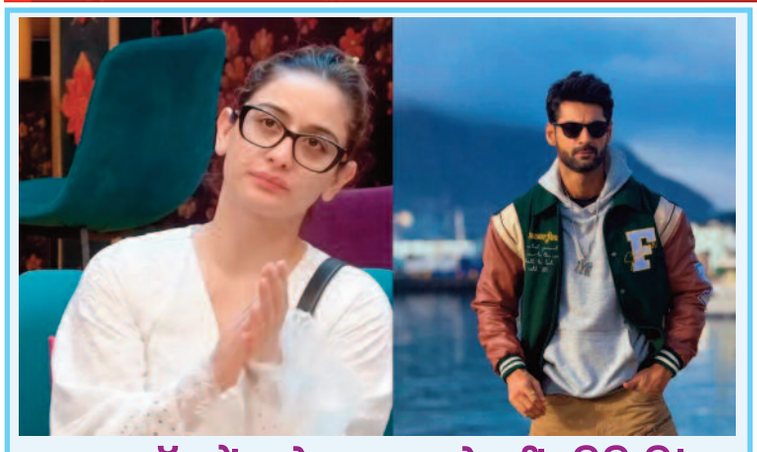

एक्स-बॉयफ्रेंड को याद कर रो पड़ीं उदिति सिंह

बिग बॉस 20 में सुनाया करण वाही से पहली मुलाकात का किस्सा

उदिति सिंह ने कहा कि अगर उनके एक्स करण वाही बिग बॉस 20 में आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही करण संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया और रो पड़ीं। उदिति सिंह बिग बॉस 20 में एंट्री करने के बाद से लाइमलाइट में हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी प्रोफेसनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं। प्रीमियर से पहले ऐसे अंदाजे थे कि वह अपने एक्स-बॉयफ्रेंड करण वाही के साथ रियलिटी शो में एंट्री करेंगी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। वह अकेले ही शो में आईं और लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने पहली बार अपने एक्स-बॉयफ्रेंड करण के बारे में बात की। अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते वक्त वह रो पड़ीं और माही विज ने उन्हें शांत रहने को कहा।

करण वाही को यादकर रो पड़ीं उदिति

घर के अंदर उदिति को काजी तौकीर, माही विज और अमन गांधी जैसे साथी कंटेस्टेंट से बात करते देखा गया,जब माही ने ऐसा कहा तो कई लोगों ने सोचा कि उदिति अपने एक्स के साथ शो में आएंगी। उदिति ने करण का नाम लिए बिना कहा कि उनकी एंट्री से उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और कहा कि वह बहुत पहले ही उस रिश्ते से आगे बढ़ चुकी हैं। एक्ट्रेस ने कहा,वो साथ भी आ जाता तो मेरे लिए कोई दूसरा कंटेस्टेंट टाइप ही होता। देयर आर सो मच पीपल हियर, जिनसे मैं बात नहीं करती। इतना कोई चक्कर नहीं है मुझे, मैंने कब का मूव ऑन कर लिया है। इट्स बीन सो लॉन्ग आई हैव मूव ऑन।

कैसे हुई करण-उदिति की पहली मुलाकात

उदिति सिंह ने आगे बताया कि वे कैसे मिले। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने लंदन के एक रेस्टोरेंट के बारे में उन्हें इंस्टाग्राम पर DM किया था और फिर दोनों ने मिलने का फैसला किया। वह तीन दिनों के लिए लंदन में थे,जब दोनों और उनके दूसरे दोस्त शॉपिंग करने गए और बातें करते रहे। दो महीने बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। लॉकडाउन के दौरान वह इंडिया आ गई थीं और एक्टर के करीब रहते हुए एक MNC में नौकरी ढूंढ रही थीं। वे इस बारे में भी बात कर रहे थे कि वे आखिर में शादी कैसे करेंगे तभी ब्रेकअप हो गया और यह उनके लिए मुश्किल समय था। उन्होंने कहा, हम डेटिंग और फिर शादी को लेकर काफी सीरियस थे। शादी वाला चक्कर था। उदिति को रोते देख माही और बाकी लोग उसे गले लगाने और दिलासा देने के लिए दौड़े।

कब हुआ था करण और उदिति

करण और उदिति दो साल से ज्यादा समय तक रिलेशनशिप में थे और 2022 में उनका ब्रेकअप हो गया। हाल ही में करण वाही का नाम जेनिफर विंगेट से भी जोड़ा गया था। करण अभी खतरों के खिलाड़ी 15 में हैं। वह रीमिक्स,दिल मिल गए,कुछ तो लोग कहेंगे,खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखलाजा जैसे टीवी शो में आने के लिए जाने जाते हैं। वह बिग बॉस 13 में गेस्ट के तौर पर भी आए थे।

बीच सड़क पर 80 दशक की हसीनाओं का दंगल

पद्मिनी कोल्हापुरे-पूनम ढिल्लों से भिड़ीं प्रीति सप्रू,पुलिस को देना पड़ा दखल

सिनेटा का अंदरूनी विवाद अब बढ़ता जा रहा है। उपासना सिंह के आरोपों के बाद हाल ही में पद्मिनी कोल्हापुरे और प्रीति सप्रू के बीच बीच सड़क खूब लड़ाई हुई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को दखल देना पड़ा।
सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन का विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये अंदरूनी विवाद इतना बढ़ गया है कि अब मामला सड़क तक पहुंच गया है। पिछले दिनों उपासना सिंह ने सिंटा की पदाधिकारी पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर संगठन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। दोनों अभिनेत्रियों पर दस्तावेजों और अन्य सामान को हटाने की कोशिश के आरोप लगे। ऐसे में पूनम ढिल्लों,पद्मिनी कोल्हापुरे, अभय भार्गव, जया भट्टाचार्य और सी.पी. ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए खुद पर लगे आरोपों पर अपनी बात रखी और सफाई पेश की। लेकिन,अब सिनेटा का ये अंदरूनी विवाद संगठन से उठकर सड़क तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरे और प्रीति सप्रू को आपस में बहस करते देखा जा सकता है।

सिनेटा मेंबर्स का बीच सड़क विवाद

हाल ही में कुनिका ने आरोप लगाया था कि सिनेटा के ऑफिशियल कागजात और फाइलें पूनम ढिल्लों की गाड़ी में रखी गई थीं। कुनिका सदानंद के इन्हीं दावों को लेकर कुछ ष्ट्ढहृझ्र मेंबर पद्मिनी कोल्हापुरे से सवाल करते दिखे, जिसे लेकर पद्मिनी कोल्हापुरे नाराज हो गईं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह संगठन के आधिकारिक कागज ले जाने की बात मानती हैं तो अभिनेत्री उनसे समिति को भंग करने वाला पत्र दिखाने को कहती हैं। धीरे-धीरे ये बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा।

पुलिस ने लगाई फटकार

बात इतनी बिगड़ गई कि बीच सड़क ही पद्मिनी कोल्हापुरे और प्रीति सप्रू के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। ऐसे में पुलिस ने मामले को संभालने की कोशिश की और कहा कि वह मामले में सिर्फ थर्ड पार्टी हैं और उनके लिए सभी एक समान हैं। दूसरी तरफ पूनम ढिल्लों पूछती हैं कि उनकी कार की तलाशी क्यों ली जा रही है, जबकि कुनिका सदानंद लगातार वीडियो रिकॉर्ड करती रहीं, जिससे पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे नाराज हो गईं। इस पर पुलिस अफसर नाराज हो गईं और कहा- मुझे आपसे इस तरह बात करने में अच्छा नहीं लग रहा। हम झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों से भी ऐसे बात नहीं करते। कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल रखिए,लोग देख रहे हैं। आप सभी सिर्फ अपने आरोपों पर अड़े हैं,हमारी बात सुन ही नहीं रहे। अगर कोई और होता तो हम थप्पड़ मार देते। आपको इज्जत दे रहे हैं, लेकिन हद होती है।

सिनेटा विवाद की वजह क्या थी?

अगस्त में सिनेटा के एग्जीक्यूटिव कमेटी के 11 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में से आठ चुने हुए सदस्य थे। इसके बाद उपासना सिंह और अन्य सदस्यों ने पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर अलोकतांत्रिक तरीके से काम करने के आरोप लगाए। हालांकि, पून और पद्मिनी दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस्तीफों और लीडरशिप संकट के बाद, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने 12 सितंबर, 2026 कोसिनेटा के लिए नए चुनाव कराने की घोषणा की।

175 दिन शूटिंग और 2500 ग्राफिक्स शॉट्स : स्वयंभू पर बोले निखिल सिद्धार्थ

डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी की बहुप्रतीक्षित पैन-इंडियन पीरियड फिल्म स्वयंभू में लीड रोल निभाने वाले तेलुगु स्टार सिद्धार्थ ने कहा है कि अच्छी चीज़ों में समय लगता है और वे फिल्म की रिलीज़ डेट की घोषणा करने के करीब हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही फिल्म के लिए 175 दिन तक शूटिंग करनी होगी और 2,500 ग्राफिक्स शॉट्स होंगे! अपनी आने वाली फिल्म स्वयंभू को लेकर आत्मविश्वास से भरे एक्टर ने अपनी ङ्ग टाइमलाइन पर फिल्म की रिलीज़ डेट के बारे में एक अपडेट शेयर किया। उन्होंने लिखा,स्वयंभू एक मल्टी-लैंग्वेज पैन-इंडियन फिल्म होगी जो देश और दुनिया भर में रिलीज़ होगी। अच्छी चीज़ों में समय लगता है। हम लगभग तैयार हैं...मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही फिल्म के लिए 175 दिन शूटिंग करनी होगी और 2500 ग्राफिक्स शॉट्स होंगे। लेकिन.धमाका करने के लिए तैयार.रिलीज़ डेट की घोषणा जल्द ही होगी! इस फिल्म ने फैंस और फिल्म प्रेमियों के बीच काफी उम्मीदें जगा दी हैं। याद दिला दें कि पिछले शुक्रवार को ही मेकर्स ने बताया था कि एक्ट्रेस संयुक्ता फिल्म में भूमि का किरदार निभा रही हैं और एक वीडियो क्लिप भी जारी किया था जिसमें फिल्म के एक्शन सीन करने के लिए एक्ट्रेस की मेहनत दिखाई गई थी। संयुक्ता को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रोडक्शन हाउस पिक्सेल स्टूडियोज़ ने अपने सोशल मीडिया टाइमलाइन पर लिखा, लगातार ट्रेनिंग से लेकर निडर भूमि बनने तक। हमारी वॉरियर को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने स्वयंभू की शानदार दुनिया में अपना साहस,ताकत और जज़्बा दिखाया है। रिलीज़ डेट की घोषणा जल्द ही होगी। जो लोग नहीं जानते,उन्हें बता दें कि संयुक्ता फिल्म में दो फीमेल लीड्स में से एक का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी ने पहले दिए एक खास इंटरव्यू में बताया था कि एक्ट्रेस ने बहुत हिम्मत दिखाई और फिल्म के लिए एक रिस्की स्टंट किया, जिसके लिए उन्हें दो पूरे दिनों तक रस्सी पर खतरनाक तरीके से लटकना पड़ा था।

खेल समाचार

नेपाल ने एशिया कप 2027 के लिए किया क्वालीफाई

यूएई को हराकर बना एसीसी प्रीमियर कप चैंपियन

काठमांडू, 12 सितम्बर 2026। एशिया कप 2027 वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा,जिसमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2026 के खत्म होने के बाद इस टूर्नामेंट के लिए सभी 6 टीमों के नाम तय हो चुके हैं। नेपाल ने एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2026 के फाइनल में यूएई को 44 रनों से मात देकर शानदार जीत दर्ज की। मलेशिया के बायुमास ओवल मैदान पर खेले गए इस मैच में नेपाल के ओपनर आसिफ शेख ने बेहतरीन शतक जड़ा। इस जीत के साथ कप्तान संदीप लामिछाने की टीम नेपाल ने बांग्लादेश में होने वाले एशिया कप 2027 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। एशिया कप 2027 बांग्लादेश की मेजबानी में खेला जाएगा।
एशिया कप के लिए क्वालीफाई करने वाली छठी टीम बनी नेपाल एसीसी प्रीमियर कप एशिया कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होता है। नेपाल इस बार एसीसी प्रीमियर कप का खिताब जीतकर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली छठी और आखिरी टीम बन गई है। अब टूर्नामेंट की सभी 6 टीमें तय हो गई हैं। वनडे फॉर्मेट में होने के कारण इस बार सिर्फ 6 टीमें ही खेलेंगी जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मेजबान बांग्लादेश को सीधे जगह मिली है, जबकि नेपाल छठी टीम के रूप में शामिल हुआ है।

इंग्लैंड ने घर में पहली बार किया पाकिस्तान का सूपड़ा साफ

बर्मिंघम ,12 सितम्बर 2026। इंग्लैंड ने बर्मिंघम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर 3-0 से टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहली बार पाकिस्तान को घर में टेस्ट सीरीज मे क्लीन स्वीप किया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला गया। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की और पहली बार अपने घर पर पाकिस्तान का क्लीन स्वीप किया। इंग्लैंड को जीत के लिए 130 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे

मेहमान टीम ने 24.2 ओवरों मे 2 विकेट गवाकर जीत हासिल कर ली।पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 449 रन बनाए थे और उन्होंने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 130 रन का टारगेट रखा। पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में रजाउल्लाह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और एमिलियो गे पहले ही ओवर में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। फिर जो रूट और जॉर्डन कॉक्स ने पारी संभाला और तीसरे विकेट के लिए 140 गेंदों में 128 रन की साझेदारी की। कप्तान रूट ने 69 गेंदों में 62 रन और कॉक्स ने 76 गेंदों में नाबाद 59 रन की शानदार पारी खेली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम पहली पारी में सिर्फ 133 रनों पर ढेर हो गई। टीम का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि 8 बल्लेबाज तो 10 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर , जिला-सरगुजा (छ0ग0)

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कंवरु राम आ0.स्व. सुधू राम निवासी कोलडीहा थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक कंवरू राम के चाचा (स्व. दशरथ). आ0 स्व. सुधू राम की दिनांक 08/ 02/ 2004..को स्थान कोलडीहा में हुई है। आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।
उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 07/09/ 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर जिला-सरगुजा(छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर , जिला-सरगुजा (छ0ग0)

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कंवरु राम आ0.स्व. सुधू राम निवासी कोलडीहा थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक कंवरू राम के चाचा (स्व. रामसाय). आ0 स्व. सुधू राम की दिनांक 04/03/2003..को स्थान कोलडीहा में हुई है।
आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।
उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 07 / 09 / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर जिला-सरगुजा(छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा

रा0प्र0क्र0 / अ-6 / 2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामकुमार जायसवाल आ.स्व. परमेश्वर दयाल, उम्र- 58 वर्ष, निवासी मायापुर अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि नगर अ0पुर, शीट नं. 03 मोहल्ला कौवाड़ांड स्थित नजूल भूमि खसरा क्रमांक 1554, 1557 रकबा क्रमशः 0.02, 0.15 एकड़ भूमि आवेदकगण एवं अना0क्र0 5 व 6 के पिता तथा अनावेदक क्र. 01 अशोक कुमार गुप्ता, 02 रितेश कुमार गुप्ता, 03 रमेश कुमार गुप्ता के दादा एवं अनावेदक क्र. 04 रम्भा देवी पत्नी स्व0 बंशीधर प्रसाद गुप्ता के ससूर परमेश्वर दयाल आ0 बिहारी साव के नाम पर दर्ज है। परमेश्वर दयाल आश बिहारी साव की मृत्यु दिनांक 10.12.2018 को एवं उनके पुत्र बंशीधर प्रसाद गुप्ता की मृत्यु दिनांक 05.01.2023 को हो गई है । तत्पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त आवेदित भूमि का फौती नामांतरण किये जाने हेतु भूधारक परमेश्वर दयाल आ0 बिहारी साव के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक - 24/ 09/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक- 09/09/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

छत्तीसगढ़ शासन,जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र.-01अम्बिकापुर (छ.ग.)

Main Portal:https://cgeprocurment.gov.in
WRD Portal : wrd.cgeprocurment.gov.in

(निविदा निरस्तीकरण सूचना)

आदेश क्र.-2578/व. ले.लि./2026-27 अम्बिकापुर दिनांक 10.09.2026
इस कार्यालय के निविदा सूचना क्रमांक - 03 / व.ले.लि. / 2026-27 दिनांक 15.07.2026 सिस्टम नं. 195549 (द्वितीय आमंत्रण) कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 -1 अम्बिकापुर कार्यालय का जीर्णोद्वार कार्य अनुमोदित लागत राशि रू. 378.35 लाख के निविदा का प्रकाशन किया गया था, जिसका %जी% नम्बर 262702193 दिनांक 17.07.2026 है। को कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर के पत्र क्र. 4264208/निविदा प्रकोष्ठ /2026/5356 (टी.सी.) दिनांक 20.08.2026 के तहत् निविदा के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ द्वारा ऑनलाईन खोला गया। उक्त निविदा के द्वितीय आमंत्रण में प्रतिभागी निविदाकार की संख्या निरंक है।
अतः निविदा निरस्त की जाती है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र0 1अम्बिकापुर
कृते/- मुख्य अभियंता हसदेव गंगा
कछार जल संसाधन
विभाग,अंबिकापुर (छ0ग0)

जी0नं0 -262703250/5

न्यायालय तहसीलदार लखनपुर जिला सरगुजा छ0ग0

ईश्तहार

लखनपुर दिनांक 31 08.2026

एतद् द्वारा आग जनता ग्राम पुहपुटरा को सूचित किया जाता है कि आवेदक बंटी आ.स्व. श्री हरीचरण -निवासी ग्राम पुहपुटरा के द्वारा अपनी दादी कदंमकुवर की मृत्यु दिनांक 14.09.2021 को हुए मृत्यु प्रमाण हेतू जन्म / मृत्यु रजिस्टीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ.ग. जन्म मृत्यु रजि. नियम 2001 के नियम 9 नियत (3) के तहत प्रमाण पत्र हेतू आवेदक इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 15.09.2026 को सुनवाई की जानी है।
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे किसी को कोई आपत्ति हो तो वो...न्यायालय की पेशी 15.09.2026 तक अपना दावा / आपत्ति पेश कर सकता है । नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

सील — तहसीलदार लखनपुर जिला-सरगुजा(छ0ग0)

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला - सूरजपुर,छ0ग0

रा0 प्र0क्र0 ब/121 वर्ष
ग्राम- तुलसी प0ह0न0...

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पंचन राम पनिका आ0 विशनाथ जाति पनिका निवासी ग्राम तुलसी प0ह0नं0 13 रा0नि0म0 लटोरी तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र/पुत्री मानमती पनिका का जन्म/मृत्यु दिनांक 20/01/2025 को ग्राम तुलसी में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत तुलसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है ।
अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 24/09/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायायल में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 10/09/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी लटोरी,जिला-सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला - सूरजपुर,छ0ग0

रा0 प्र0क्र0 ब/121 वर्ष
ग्राम- वीरपुर प0ह0न0...

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सोन साय यादव आ0 स्व0 कलेश्वर जाति यादव निवासी ग्राम वीरपुर प0ह0नं0 रा0नि0म0 ..... तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता स्व0 कलेश्वर का जन्म/मृत्यु दिनांक 17/03/1995 को ग्राम वीरपुर में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत वीरपुर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है ।
अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 17/09/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायायल में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 02/09/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी लटोरी,जिला-सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला - सूरजपुर,छ0ग0

रा0 प्र0क्र0 ब/121 वर्ष
ग्राम- संजयनगर प0ह0न0...

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गोविन्द ओझा आ0 गोपाल ओझा जाति नमोसुद निवासी ग्राम संजयनगर प0ह0नं0 रा0नि0म0 ..... तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के दादी स्व0 सावित्री का मृत्यु दिनांक 04/04/2013 को ग्राम संजयनगर में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत संजयनगर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है ।
अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25/09/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायायल में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 10/09/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी लटोरी,जिला-सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला - सूरजपुर,छ0ग0

रा0 प्र0क्र0 ब/121 वर्ष
ग्राम- बृजनगर प0ह0न0...14

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ननका आ0 मंगल साय जाति पनिका निवासी ग्राम बृजनगर प0ह0नं0-14 रा0नि0म0 लटोरी तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के मां स्व0 भूखली का मृत्यु दिनांक 10/08/2008 को ग्राम बृजनगर में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत बृजनगर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है ।
अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 24/09/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायायल में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 08/09/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी लटोरी,जिला-सूरजपुर

कार्यालय कलेक्टर,जिला सरगुजा एवं पदेन उप सचिव,छ.ग. शासन,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-:: अधिसूचना ::-

अम्बिकापुर दिनांक 07/09/2026

प्र.क्र. / 202608021900002 / अ-82 / 2025-26 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

- अनुसूची -

भूमि का वर्णन -
1. जिला- सरगुजा — 2. तहसील - उदयपुर
3. ग्राम / प.ह.न. सलका — 4. भूमि का क्षेत्रफल -1.413 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हे.में)	खसरा नं.	रकबा (हे.में)
1553	0.729	1554	0.684
कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.413 हे0			

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0-1, अम्बिकापुर
सावजनिक प्रयोजन का विवरण :- रजबांध(डूमरडीह) जलाशय योजना के निर्माण हेतु ग्राम सलका डुबान क्षेत्र हेतु।
2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा समाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में दावा / आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिये अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर जिला सरगुजा को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(राम राज सिंह)
भू-अर्जन अधिकारी उदयपुर

(अजीत बसंत)
कलेक्टर,सरगुजा
एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जी.नं.-262703249/1

40 वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मांगेगा छत्तीसगढ़....

खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों और अवसरों की नहीं होगी कमी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

- प्रदेश में खेल अधोसंरचना का तेजी से हो रहा विस्तार,रायपुर में 60 करोड़ रुपए की लागत से बन रही आर्चरी अकादमी
- शासन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के बीच बेहतर समन्वय के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी विशेष जिम्मेदारी...

रायपुर,12 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के गांवों, वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। आवश्यकता है कि उनकी समय पर पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में खेल अधोसंरचना का विस्तार करने के साथ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए संसाधनों और अवसरों की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग एवं जनरल काउंसिल मीटिंग को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता और पदक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के अनुरूप तैयार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए खेल अधोसंरचना के विकास के साथ प्रशिक्षण और प्रतिभा चयन की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के विभिन्न खेल संघों को उद्योग समूहों से जोड़ने की पहल में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अनेक बड़े उद्योग समूह कार्यरत हैं। इन समूहों के सहयोग को खेलों के विकास से जोड़ा जाए तो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, प्रतियोगिताओं के आयोजन और खेल अधोसंरचना के विस्तार में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है।

'40वें नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए प्रयास करेगा छत्तीसगढ़'

बैठक में 40वें नेशनल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में कराने के विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के साथ अब बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में भी गंभीरता से आगे बढ़ने का समय है। 40वें नेशनल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को दिलाने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नेशनल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलती है, तो इसके आयोजनों को बस्तर से भी जोड़ने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। बस्तर में शांति, विकास और विश्वास का नया वातावरण बन रहा है। राष्ट्रीय स्तर का बड़ा खेल आयोजन यहां के युवाओं को प्रेरणा देने के साथ देश-दुनिया के सामने बदलते और आगे बढ़ते बस्तर तथा छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर प्रस्तुत करने का अवसर भी बनेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों जैसे बड़े आयोजन से प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास को और गति मिलेगी, स्थानीय खिलाड़ियों को देश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को करीब से देखने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा तथा प्रदेश में खेल संस्कृति व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित होगी।

'पंडरापाठ में बनेगी आर्चरी अकादमी, वनांचल की नैसर्गिक प्रतिभाओं को मिलेगा अवसर'

मुख्यमंत्री साय ने जशपुर अंचल में तीरंदाजी की समृद्ध परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के युवाओं में तीरंदाजी की नैसर्गिक प्रतिभा है। विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा समुदाय में यह खेल जीवन और परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन प्रतिभाओं को आधुनिक प्रशिक्षण,विशेषज्ञ मार्गदर्शन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर बड़े खेल मंचों तक पहुंचाया जा सकता है।

'रायपुर में 60 करोड़ रुपए की लागत से बन रही आर्चरी अकादमी'

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। रायपुर,रायगढ़ और कुनकुरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। रायपुर में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक आर्चरी अकादमी का निर्माण भी किया जा रहा है। इन सुविधाओं के विकसित होने से प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अभ्यास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी खेल अधोसंरचना तैयार करने का प्रयास है।

'वनांचल में तीरंदाजी और मलखम्ब की अपार संभावनाएं : वन मंत्री केदार कश्यप'

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खेल अधोसंरचना के निर्माण और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद खेल अलंकरण समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों को सम्मानित करने से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के वनांचलों में तीरंदाजी जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन देने की है। बस्तर के जनजातीय युवा मलखम्ब में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। सामूहिक खेलों के साथ व्यक्तिगत खेलों में भी खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल गतिविधियों का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से सीधे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन करते हैं।

'खेल अलंकरण की पुनः शुरुआत से खिलाड़ियों का बढ़ा उत्साह'

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से नियमित संवाद करते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन का उत्साहवर्धन करते हैं। इससे देश में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण बना है और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी भावना के साथ प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में खेल अलंकरण समारोह की पुनः शुरुआत की गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। खेल प्रतिभाओं को शासकीय सेवा में अवसर देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

'बस्तर और सरगुजा ओलंपिक से सामने आ रही नई प्रतिभाएं'

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे अंचलों में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं। बस्तर ओलंपिक ने दूरस्थ क्षेत्रों के हजारों युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बड़ा मंच उपलब्ध कराया है। राज्य सरकार बस्तर ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक वर्ष करेगी। सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से भी क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे आने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति और विकास के नए वातावरण के बीच खेलों को भी नई गति देने का समय है। क्षेत्र के युवाओं में खेलों के प्रति स्वाभाविक रुचि और असाधारण क्षमता है। उन्हें उचित प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं। खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का भी प्रभावी माध्यम है।

अन्य जिलों में भी गठित किए जाएंगे जिला ओलंपिक संघ

छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. विक्रम सिसोदिया ने पिछली एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रदेश में खेलों के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों, संघ की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में 23 जून को ओलंपिक दिवस के आयोजन, विभिन्न खेल गतिविधियों,नेशनल गेम्स,खेल संघों की आवश्यकताओं और आगामी गतिविधियों के लिए जरूरी बजटीय प्रावधानों पर चर्चा हुई। संघ की आय-व्यय की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। प्रदेश में वर्तमान जिला ओलंपिक संघों के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी जिला ओलंपिक संघ गठित करने के लिए समिति बनाए जाने पर सहमति प्रदान की गई। हैंडबॉल एसोसिएशन सहित विभिन्न खेल संघों से जुड़े विषयों तथा प्रदेश में खेल गतिविधियों के विस्तार पर भी विचार-विमर्श किया गया।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा बयान

कहा...भाजपा के कई नाराज फूफा हमारे संपर्क में...

बिलासपुर,12 सितम्बर 2026। कांग्रेस के संभाग स्तरीय संगठन सृजन एवं प्रशिक्षण शिविर के समापन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा सियासी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के नाराज फूफा हमारे संपर्क में हैं। मंत्री खुशवंत साहेब के भाई कांग्रेस में शामिल हुए हैं. ये शुरुआत है,समय आने दीजिए,कई लोग पार्टी में शामिल होंगे। अभी कई बड़े धमाके होंगे।

दीपक बैज ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए ये नेता हमारे साथ चलते थे,लेकिन भाजपा में जाने के बाद पीछे की लाइन में भी नजर नहीं आते। भाजपा में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती,जबकि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए,वो वापसी के लिए लाइन लगे है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आदिवासी मानने से इनकार करते हुए कहा कि हम सीएम को आदिवासी नहीं मानते, वो तो वनवासी हैं। आदिवासी होते तो विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते। बैज ने कोल ब्लॉक और प्रदेश की खनिज संपदा को लेकर

भाजपा सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जल,जंगल और जमीन के मुद्दे पर कांग्रेस आने वाले समय में बड़ी लड़ाई लड़ेगी। हाथी-मानव द्वंद्व और पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। शराब के मुद्दे पर बैज ने नकली शराब, होलोग्राम और पैकिंग का आरोप लगाते हुए प्रदेश में शराब सिंडिकेट चलने का दावा किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि इस पूरे नेटवर्क का पैसा और कमीशन आखिर कहां तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा- बीजेपी अब जेन जी को साधने की कवायद कर रही है,उनके पास छत्तीसगढ़ में कोई काम तो है नहीं, इसलिए रील बना रहे,डांस कर रहे, 2028 के बाद इनके पास कोई काम नहीं रहेगा। आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा,इस सवाल पर उन्होंने कहा...सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल छत्तीसगढ़ को बेचने वाली इस सरकार को उखाड़ फेंकने का है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं में सामंजस्य है। हम एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं। बीजेपी के बड़े नेता आपस में एक गाड़ी में कब बैठेंगे,बीजेपी ये बताए। 2028 के चुनाव की तैयारियों पर बैज ने कहा कि कांग्रेस का रोडमैप तैयार है। किसान, रोजगार,शिक्षा,स्वास्थ्य और नगरीय निकायों की स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता अर्जुन बनकर निकलेगा और मछली की आंख पर निशाना होगा। बिलासपुर में हुए तीन दिवसीय संगठन सृजन एवं प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैज ने कहा कि आगामी चुनाव की रणनीति, संगठन को मजबूत करने और सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारियों पर मंथन हुआ। उन्होंने कहा...'मंथन में विष की एक बूंद भी नहीं निकली,तीन दिन तक अमृत निकला।

कृषि शिक्षक भर्ती में योग्यता को चुनौती,हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर,12 सितम्बर 2026। लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत कृषि शिक्षक पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा की योग्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि एनसीटीई (नेशनल टीचर काउंसिल फार एजुकेशन) के 2014 में जारी अधिसूचना के अनुसार 11 वीं और 12 वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अनिवार्य योग्यता स्नातकोत्तर होनी चाहिए। जबकि राज्य शासन ने लेकिन सिर्फ स्नातक की पात्रता रखी है। यह नियमों का उल्लंघन है। याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। अधिसूचना के अनुसार, शिक्षक ई संवर्ग के 868 और टी संवर्ग के 786 यानी कुल 1654 पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार शिक्षक के इन पदों के लिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक व बीएड में एक वर्षीय स्नातक या 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व चार वर्षीय बीएएड, बीएससीएड, बीएड हो, या 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक व बीएड विशेष शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक के साथ ही टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री निवास में मनाया गया तीजा पोरा तिहार

देखने को मिली छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा और संस्कृति की झलक...

रायपुर,12 सितम्बर 2026। मुख्यमंत्री निवास में शनिवार को तीजा-पोरा तिहार के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा और संस्कृति की झलक मुख्यमंत्री निवास में देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही।

तीजा जहां महिलाओं के लिए मायके, परिवार और रिश्तों की भावनाओं से जुड़ा पर्व है,वहीं पोरा तिहार खेती-किसानी और पशुधन के प्रति आस्था और सम्मान को दर्शाता है। इस दिन मिट्टी से बने नंदी-बैल और पारंपरिक खिलौनों की पूजा की जाती है। गांवों से लेकर शहरों तक इस पर्व की खास रौनक देखने को मिल रही हैं।

लोकगीत,पारंपरिक नृत्य, झूले और छत्तीसगढ़ी पकवान इस उत्सव को और खास बना रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में हुए आयोजन में मंत्री गजेंद्र यादव के अलावा मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर महापौर मीनल चौबे,पूर्व मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह और उनकी बहू के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं।

संपत्ति विवाद में स्टे देने तहसीलदार को अधिकार नहीं

महासमुंद सिविल कोर्ट ने किया इनकार,तहसीलदार ने लगा दी रोक,हाईकोर्ट ने आदेश रद्द किया

बिलासपुर,12 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद ने जमीन और संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि तहसीलदार को किसी निर्माण कार्य पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल सक्षम सिविल कोर्ट के पास है। हाईकोर्ट ने इस मामले में महासमुंद तहसीलदार के रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया। नीरज जैन और विकास चोपड़ा ने महासमुंद में खसरा नंबर 2052/1 और 2052/2 की जमीन रजिस्टर्ड सेल-डीड से खरीदी थी। दोनों ने जमीन पर निर्माण शुरू किया। इस पर पड़ोसी जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने तहसीलदार के पास शिकायत कर निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। तहसीलदार ने 25 अप्रैल 2022 को निर्माण रोकने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट के मुताबिक, तहसीलदार ने यह आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया था। याचिकाकर्ता नीरज जैन ने तहसीलदार के आदेश को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। साथ ही कहा कि यह विवाद और रोक लगाने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि इसी जमीन से जुड़े पुराने विवाद में सिविल कोर्ट पहले ही जगदीश प्रसाद अग्रवाल को स्थायी रोक देने से इनकार कर चुका था। हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अधिकारियों का अधिकार मुख्य रूप से कृषि भूमि तक सीमित है।

सीएम सरकार का बड़ा फैसला : पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए कट-ऑफ डेट बढ़ाई गई

9 वर्षों से निवासरत परिवारों को भी अब मिलेगा लाभ

रायपुर,12 सितम्बर 2026। शहरी गरीबों के आशियाने के सपने को पूरा करने छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगरीय निकायों में रहने वाले परिवारों के हित में संवेदनशील फैसला लेते हुए राज्य शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के लिए निवास की वैधता की कट-ऑफ तिथि को 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2024 कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से विगत 9 वर्षों से शहरों में रह रहे लोगों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय हजारों शहरी परिवारों के लिए पक्के घर का नया अवसर लेकर आया है। 'आवास से सम्मान,सम्मान से सशक्तीकरण' के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य शासन का यह महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में शासन ने शहरी गरीबों एवं जरूरतमंद परिवारों के आवास के सपने को साकार करने के लिए संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत हितग्राहियों के निवास की वैधता के

निर्धारण के लिए नई कट-ऑफ-तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित करते हुए इसका आदेश मंत्रालय से जारी कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि शासन द्वारा इस आशय का आदेश प्रसारित कर दिया गया है। पूर्व में निर्धारित 31 अगस्त 2015 की तिथि में संशोधन से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत अधिक पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 का लाभ ले सकेंगे। यह निर्णय शहरी क्षेत्रों की बदलती आवश्यकताओं, बढ़ती आबादी तथा गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों की वास्तविक आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। राज्य शासन का यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबके लिए आवास' के संकल्प तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की गरीब कल्याण की प्राथमिकता को मजबूत करता है। इससे शहरी क्षेत्रों में निवासरत अधिक जरूरतमंद परिवारों का पारदर्शी सर्वेक्षण, दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता परीक्षण कर उन्हें योजना के दायरे में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस निर्णय से किराये के आवासों, अस्थायी बस्तियों या अपर्याप्त आवासीय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे पात्र परिवारों को सुरक्षित,पक्के और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को नई गति मिलेगी। पक्का आवास केवल छत नहीं, बल्कि परिवारों के लिए सुरक्षा,स्थायित्व,गरिमा और बच्चों के बेहतर भविष्य का आधार है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत निर्मित अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) परियोजनाओं में पात्र हितग्राहियों का चयन एवं आबंटन अब और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। विस्तारित कट-ऑफ तिथि से हितग्राही आधार व्यापक होगा, जिससे अधिक परिवार योजनाबद्ध आवासीय परिसरों में सम्मानपूर्वक बस सकेंगे।

नशीली दवाओं के अंतरजिला नेटवर्क का भंडाफोड़,7 तस्कर गिरफ्तार..

बलौदाबाजार,12 सितम्बर 2026। बलौदाबाजार में भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले एक अंतरजिला नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दतरेगा गांव में दवाओं की डिलीवरी से पहले घेराबंदी कर 6 आरोपियों को पकड़ा। एक अन्य आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने Spas Trancan Plus के 1,088 कैप्सूल और Ultracet की 58 टैबलेट जब्त की हैं। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की गई कार, 8 स्मार्टफोन और 7,650 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 2.61 लाख रुपए बताई जा रही है।

दतरेगा में नशीली दवाओं की डिलीवरी की सूचना

पुलिस को नशीली दवाओं की अवैध बिक्री और सप्लाई की जानकारी मिली थी। इसके बाद भाटापारा ग्रामीण थाना और साइबर सेल की टीम ने मिलकर तकनीकी निगरानी शुरू की। साइबर सर्विलांस और डिजिटल डेटा की मदद से संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसी दौरान पुलिस को दतरेगा गांव में नशीली दवाओं की डिलीवरी होने की खबर मिली। पुलिस टीम ने योजना बनाकर घेराबंदी की और आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद बिलासपुर से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साईं ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)